भारतीय रिज़र्व बैंक

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

चेन्नै

इवेंट नंबर: आरबीआई/चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/1/25-26/ईटी/735

[आईटी परिसंपत्तियों की एफएमएस और एएमसी]

भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै

में

सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी)

के लिए ई-निविदा

संविदा की अवधि: - 01.04.2026 से 31.03.2027

(आपसी सहमति से वार्षिक आधार पर अधिकतम दो और वर्षों (एक समय में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि वेंडर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं बैंक द्वारा संतोषजनक पाई जाती हैं)

ई-निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक और समय: 09 जनवरी 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे

अस्वीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै (इसके बाद "बैंक", "आरबीआई" या "भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै" के रूप में एक दूसरे के स्थान पर संदर्भित), ने इच्छुक पार्टियों को संविदा की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए इस दस्तावेज़ को तैयार किया है। यद्यपि बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है तथा यह मानता है कि यह जानकारी सही है, फिर भी न तो बैंक, न ही इसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी, न ही इनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की गई किसी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभिव्यक्त या निहित प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जानकारी विस्तृत नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी जांच स्वयं करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या परामर्शदाता के लिए बाध्यकारी नहीं है।

बैंक के पास निविदा में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संविदा को आगे नहीं बढ़ाने, संविदा के विनिर्देशनों को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या पद्धति को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। इसमें रूचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी बैंक के पास सुरक्षित है। रूचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। भविष्य में निविदा में किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

यह निविदा दस्तावेज न तो एक प्रस्ताव पत्र है और न ही एक विधिक संविदा बल्कि प्रस्ताव के लिए एक अनुरोध है। बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व इस निविदा प्रक्रिया से तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि आरबीआई और निविदाकर्ता के विधिवत अधिकृत अधिकारियों द्वारा एक औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते और इसे निष्पादित नहीं किया जाता है। निविदाकर्ता, निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बावजूद, निविदा दस्तावेजों के विवरण को हर समय गुप्त और गोपनीय मानेगा। इसके अलावा, आरबीआई इस निविदा में भाग लेने के लिए निविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विषय-सूची

क्र. सं	विवरण	पृष्ठ
1	निविदा का शीर्षक	1
2	अस्वीकरण	2
3	विषय-सूची	3
4	निविदा आमंत्रण सूचना	4
5	निविदा की अनुसूची	5-6
6	खंड I - ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश	7-11
7	खंड II - निविदा का फार्म	12-14
8	खंड III- पात्रता मानदंड	15-19
9	खंड III(A) - बोलियों का मूल्यांकन	20-23
10	धारा III(B) - करार की शर्तें	24-28
11	खंड IV - बोलीदाताओं/वेंडर को सामान्य निर्देश और संविदा की विशेष शर्तें	29-39
12	खंड V - यहां संदर्भित शर्तें	40-50
13	खंड VI - परिशिष्ट इससे पहले संदर्भित	51
14	खंड VII - कार्यों का विस्तृत दायरा	52-61
15	खंड VIII - एएमसी और एफएमएस के तहत कवर की जाने वाली आईटी परिसंपत्तियों की सूची	62-64
16	खंड IX - बैंक की उन संपत्तियों की सूची जहां एएमसी और एफएमएस सेवाएं प्रदान की जाएंगी	65
17	खंड X - एएमसी और एफएमएस संविदा की गणना के लिए इंडेक्सेशन फार्मूला	66-67
18	खंड XI- ईएमडी के भुगतान के तरीके	68
19	धारा XII- बयाना राशि जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	69-71
20	अनुबंध-I - बोलीदाता प्रोफ़ाइल	72-75
21	अनुबंध -II - अनुपालन मैट्रिक्स	76-79
22	अनुबंध -III - योग्यता प्राप्त सेवा इंजीनियरों की तैनाती के लिए वचनबद्धता	80-81
23	अनुबंध - IV - चेन्नै में सेवा केंद्रों का विवरण	82
24	अनुबंध -V- पिछले पांच वर्षों के दौरान वेंडर को सौंपे गए एएमसी और एफएमएस कार्य आदेशों की सूची	83
25	अनुबंध -VI - वचनबद्धता /क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र	84-85
26	अनुबंध VII - ईएमडी के लिए लेन-देन विवरण	86
27	अनुबंध VIII- भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित बोलीदाताओं के संबंध में वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र	87-88
28	अनुबंध VIII(A)- हितों में अंतर्विरोध के लिए वचनबद्धता	89
29	अनुबंध IX - भाग II - वित्तीय/मूल्य बोली प्रारूप (मात्रा की अनुसूची)	90-91
30	अनुबंध X: एफएमएस/एएमसी सेवा प्रदाता के कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र (एक सीलबंद लिफाफे में ग्राहक के पत्रशीर्ष पर प्रदान किया जाना है)	92
31	अनुबंध XI: आवेदन/प्रस्ताव और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्रारूप	93
32	अनुबंध XII: सभी वैधानिक कानूनों के अनुपालन के संबंध में घोषणा/वचनबद्धता	94-95
33	अनुबंध XIII: अनुसूचित बैंक से बैंकरों के सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र का प्रपत्र	96
34	अनुबंध XIV: बोली के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	97-98

भारतीय रिज़र्व बैंक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
चेन्नै

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
(केवल ई-खरीद के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित), भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए पात्र वेंडरों से दो बोली प्रणाली (भाग I: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II: मूल्य बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है।

2. इच्छुक वेंडरों को ई-टेंडरिंग के माध्यम से भाग लेने के लिए एमएसटीसी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi में स्वयं को पंजीकृत करना होगा। वेंडरों को ई-निविदा के संबंध में दिए गए अनुदेशों के अनुसार 09 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से पहले सभी प्रकार से पूर्ण सभी सहायक दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा करनी चाहिए। वेंडरों को ₹1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) के साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण बोली प्रस्तुत करनी होगी। नियत दिनांक और निर्दिष्ट समय से पहले किसी भी वेंडर द्वारा ईएमडी का भुगतान न करने को अनुत्तरदायी माना जाएगा और ऐसी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग I) 09 जनवरी 2026 को अपराह्न 03:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में खोली जाएगी। ऊपर बताई गई किसी भी दिनांक को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए लागू होगा। केवल उन्हीं वेंडरों की मूल्य बोलियां (भाग-II) उन्हें विधिवत सूचना देते हुए बाद की दिनांक में खोली जाएंगी जो तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के अंतर्गत अपने दस्तावेजों के मूल्यांकन पर पात्र पाए जाते हैं और सभी निबंधन एवं शर्तों को पूरा करते हैं।

3. निविदा दस्तावेज आरबीआई की वेबसाइट- https://www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ई-निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल आरबीआई की वेबसाइट/एमएसटीसी ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वेंडरों को बोली जमा करने से पहले किसी भी संशोधन/ शुद्धिपत्र/ स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट/एमएसटीसी ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर "निविदाएं" लिंक देखें।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
16, राजाजी साल्लै, फोर्ट ग्लासिस
चेन्नै- 600 001

निविदा अनुसूची (एसओटी)

कार्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरीफरेल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी)
ई-निविदा सं.	इवेंट नंबर: आरबीआई/चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/1/25-26/ईटी/735[आईटी परिसंपत्तियों की एफएमएस और एएमसी]
निविदा का माध्यम	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली - एकल चरण दो लिफाफा प्रणाली (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ के माध्यम से मूल्य बोली)
दिनांक/समय जिस पर एनआईटी पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा	19 दिसम्बर 2025, अपराह्न 4:00 बजे।
बोली-पूर्व बैठक	29 दिसम्बर 2025, 11: 00 पूर्वाह्न। सिस्को वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन बैठक लिंक: https://sampark.webex.com/sampark/j.php?MTID=m467a1ee3aef56372119bffb3182fa130 मीटिंग पासवर्ड: Rbi@4321
कार्य की अनुमानित लागत	₹50.00 लाख (एक वर्ष के लिए रुपये पचास लाख मात्र) (सभी करों सहित)
बयाना जमाराशि (ईएमडी)	₹1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) बोलीदाता स्वीकार्य रूप में खाता आदाता डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या एनईएफटी भुगतान ऑनलाइन के रूप में ईएमडी जमा कर सकता है। ईएमडी के भुगतान के विभिन्न तरीकों का ब्यौरा खंड -XI में दिया गया है। बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट के बदले बैंक गारंटी के रूप में ईएमडी जमा करने की भी अनुमति है। बयाना जमा राशि के बदले में बैंक गारंटी के प्रोफार्मा का विवरण खंड-XII में दिया गया है। ईएमडी को निविदा नोटिस में उल्लिखित तरीकों के अलावा किसी अन्य रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

	(कृपया दिए गए प्रारूप अनुबंध - VII में आवेदन करते समय ईएमडी जमा विवरण का उल्लेख करें)
लेन-देन शुल्क	लेन-देन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे / एनईएफटी के माध्यम से मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या उनके द्वारा सूचित किए गए अनुसार किया जाना है। (लेन-देन शुल्क आरबीआई द्वारा नहीं लिया जाएगा)
एनईएफटी या डाक द्वारा बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम दिनांक /समय	09 जनवरी 2026, 11:00 पूर्वाह्न (इस समय तक ईएमडी के बिना प्राप्त बोलियों को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा)।
https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा किया जाना शुरू होने की दिनांक/समय	31 दिसम्बर 2025, पूर्वाह्न 11: 00 बजे
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की दिनांक	09 जनवरी 2026, पूर्वाह्न 11: 00बजे
भाग- I के खुलने की दिनांक और समय (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)	09 जनवरी, 2026, दोपहर 3:00 बजे।
भाग- II के खुलने की दिनांक और समय (यानी मूल्य बोली)	बैंक द्वारा सही दिनांक /समय की सूचना केवल उन बोलीदाताओं को दी जाएगी जो भाग-I में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं।
कार्य आदेश जारी करना/संविदा प्रदान करना	31 मार्च 2026 को या उससे पहले।

खंड I - ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

1) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो नि:शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही वेंडर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। वेंडर के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी। (विशेष नोट: तकनीकी बोली को https://www.mstcecommerce.com/eprocn (वर्जन 3) पर केवल ऑनलाइन जमा करना होगा।)

वेंडरों को www.mstcecommerce.com/eprocn के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है। वेंडर के रूप में रजिस्टर करें -- विवरण भरना और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाना -- सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / पंजीकरण देखें।

वेंडरों को उनके उस ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनित मेल प्राप्त होगा जो उन्होंने पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में कृपया आरबीआई/एमएसटीसी (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) से संपर्क करें।

2) वेंडरों के लिए संपर्क व्यक्ति (एसएसटीसी) :

उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों ई-निविदाओं, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक।

नाम	फोन संख्या	ईमेल आईडी
एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क	07969066600	-
श्री षणमुगम	9176397264	nshanmugam@mstcindia.co.in
श्री जे दामोदरन	9841002253	jdamodaran@mstcindia.co.in
एमएसटीसी हेल्प लाइन	9499054101/2/3/4	helpdesk@mstcindia.co.in; helpdeskho@mstcindia.in। (कृपया

		ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

3) आरबीआई (आरओ/टीई) में संपर्क व्यक्ति:

उपलब्धता: केवल कार्यालय समय के दौरान (सभी कार्य दिवसों पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक

नाम	फोन संख्या
श्री एम एन बाबू, प्रबंधक	8500028585
श्री संतोष रामराव गलांडे, सहायक प्रबंधक	8668704615
श्री विलास वी गोपाल, सहायक प्रबंधक	8891850650

4) सिस्टम आवश्यकताएँ:

विवरण के लिए वेंडर https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकता है।

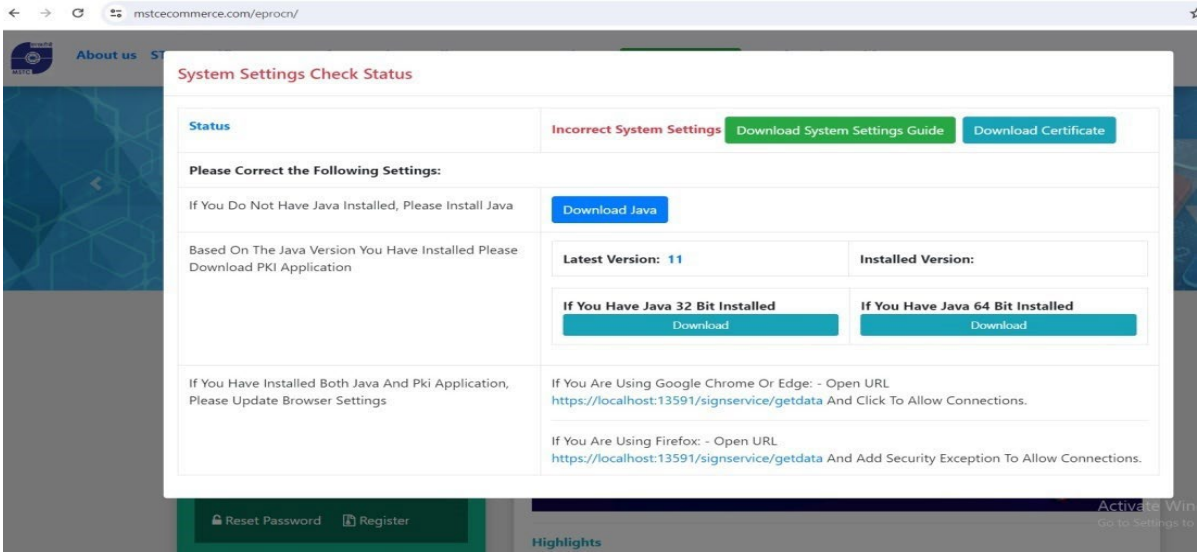

5) लेन-देन शुल्क के बारे में विशेष नोट:

वेंडरों को अपने लॉगिन के माध्यम से "इवेंट कैटलॉग" में "बिड फ्लोर"/ "लेन-देन शुल्क का भुगतान करें" में विशिष्ट निविदा के संबंध में "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेन-देन शुल्क का भुगतान करना होगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होनी चाहिए। एनईएफटी का चयन करने पर सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर बिना किसी बदलाव के चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेन-देन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने

पर सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद लेन-देन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा।

नोट: <u>लेन-देन शुल्क अप्रतिदेय है</u>। कोई वेंडर लेन-देन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा का एक्सेस नहीं कर पाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले ही लेन-देन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके।

6) निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए वेंडरों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ वेंडर के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है।

7) एनआईटी (निविदा आमंत्रित करने की सूचना) में उल्लिखित नियत दिनांक और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

8) ई- निविदा में बोली:

नोट: वेंडरों को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माई मेन्यू में दस्तावेज़ अपलोड करें लिंक का उपयोग करने का अनुदेश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद वेंडर विशेष ई-निविदा के संबंध में *दस्तावेज़ संलग्न करें* लिंक के माध्यम से दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज किसी ई-निविदा में संलग्न नहीं हैं तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि वेंडर ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के अनुदेशों का पालन करें।

क. बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेन-देन शुल्क अलग से जमा करना आवश्यकता है। ₹1,00,000/- की राशि के लिए बयाना जमाराशि 09 जनवरी 2026 को 11:00 बजे या उससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। ईएमडी भेजते समय "एएमसी और एफएमएस डीआईटी" को टिप्पणी के रूप में दिया जाएगा। एनईएफटी/आरटीजीएस लेन-देन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम: RBI CHENNAI

आईएफएससी: RBIS0CNPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)

खाता संख्या: 186003001

लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे ditchennai@rbi.org.in पर लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण भेजें। ऐसी निविदा जिसके साथ ईएमडी नहीं है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) की ईएमडी को आरबीआई द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

अ) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है। जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है केवल वे एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत कर सकते हैं

www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → नए कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर→ लाइव इवेंट →लाइव इवेंट का चयन→ लेन-देन शुल्क->सामान्य शर्तें>दस्तावेज संलग्न करें->मूल्य बोली।

कृपया ध्यान दें: वेंडर लेन-देन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब को एनेबल करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद वेंडरों को लॉट विशिष्ट शर्तों को सेव करने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के संबंध में अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने, जैसा भी मामला हो, की अनुमति दी जाएगी। यदि दस्तावेज़ संलग्न करें और/या सामान्य शर्तों को सेव करने का चरण असफल रहता है तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सेव करने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम कर दिए जाएंगे। क्या यह सफल/लंबित है इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।

ख. सबसे पहले वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सेव करना होगा। फिर वेंडर को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव " पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सेव करने के बाद बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद " डिलीट बिड" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि वेंडर फाइनल सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे डिलीट बिड पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

आ) सभी मामलों में बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

इ) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ई) ई-निविदा पूर्व घोषित दिनांक और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

उ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और क्रेता द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए क्रेता और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।

ऊ) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऋ) क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने, जैसा भी मामला हो, का अधिकार सुरक्षित है।

ऍ) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

ऐ) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा फ्लोर /निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

खंड II - निविदा फार्म

स्थान _____

दिनांक _____

क्षेत्रीय निदेशक,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक
16, राजाजी साल्लै, फोर्ट ग्लासिस
चेन्नै- 600 001

महोदया,

इसके बाद ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और आईटी परिसंपत्तियों की सूची की जांच करने और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाली अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं/हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उद्धृत दरों पर और लिखित में दी गई करार की शर्तों में निर्दिष्ट विनिर्देशों और अनुदेशों, सामान्य अनुदेशों और विशेष शर्तों, वाणिज्यिक शर्तों, निविदाकर्ताओं के लिए कार्यों का विस्तृत दायरा, आईटी परिसंपत्तियों की सूची और संविदा की शर्तों और उपलब्ध करवाई गई आईटी परिसंपत्तियों के लिए यथा लागू शर्तों के अनुसार सभी प्रकार से निष्पादित करने का प्रस्ताव करते हैं।

ज्ञापन

(क)	कार्यों का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरीफरेल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी)
(ख)	कार्य की अनुमानित लागत	₹50.00 लाख (1 वर्ष के लिए रुपये पचास लाख मात्र) करों सहित
(ग)	बयाना जमाराशि (ईएमडी)	₹1,00,000/- (रुपये एक केवल लाख मात्र)

		बोलीदाता ईएमडी को आदाता खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या एनईएफटी भुगतान के रूप में स्वीकार्य फॉर्म में ऑनलाइन जमा कर सकता है। ईएमडी के भुगतान के विभिन्न तरीकों का ब्यौरा खंड-XI में दिया गया है। बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट के बदले बैंक गारंटी के रूप में ईएमडी जमा करने की भी अनुमति है। बयाना राशि जमा के बदले बैंक गारंटी के प्रोफार्मा का विवरण खंड-XII में दिया गया है। ईएमडी को निविदा नोटिस में उल्लिखित तरीकों के अलावा किसी अन्य रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। (कृपया आवेदन करते समय दिए गए प्रारूप अनुबंध- VII में ईएमडी जमा विवरण का उल्लेख करें)
(घ)	संविदा अवधि	प्रारंभ में 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक (अधिकतम दो और वर्षों (एक बार में एक वर्ष) तक वार्षिक रूप से वेंडर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं बैंक द्वारा संतोषजनक पाई जाने और समान नियमों और शर्तों पर पर सहमति होने पर बढ़ाया जा सकता है।)
(ङ)	कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी	संविदा मूल्य का 5%; संविदा प्रदान किए जाने के 14 दिनों के भीतर जमा की जानी चाहिए और यह वारंटी दायित्वों सहित वेंडर के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की दिनांक से 60 (साठ) दिनों की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए।

1. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्द्वारा अनुबंध में दी गई उक्त संविदा की शर्तों और प्रावधानों, जहां तक वे लागू है, का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए या यदि इसमें चूक होती है तो बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए (इसके अंतर्गत ईएमडी की जब्ती शामिल है लेकिन यह केवल इसी तक सीमित नहीं होगी) सहमत हैं ।

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा, निविदा के भाग-II (मूल्य बोली) <u>के खुलने की दिनांक से 90 दिनों</u> के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। हम संविदा की पूरी अवधि और दो महीने के लिए कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

3. मैं/हम समझते हैं कि बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. निविदा दो भागों में है, भाग-I में सभी तकनीकी-वाणिज्यिक नियम और शर्तें शामिल हैं और भाग-II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

5. हमारे बैंकर हैं (पूरा पता):

(i)	
(ii)	

अनुबंध - XI (पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए) के अनुसार संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत मुख्तारनामा रखने वाले बोलीदाता के निदेशक / व्यक्ति का नाम प्रतिष्ठान की मुहर के साथ	

खंड III- पात्रता मानदंड

पात्रता की शर्तें

A. तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग- I)

1. बोलीदाता प्रासंगिक सांविधिक अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी/एलएलपी/पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए और 5 साल से अधिक समय तक आईटी परिसंपत्तियों (डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, पेरीफरेल्स आदि) के लिए एएमसी और एफएमएस प्रदान करने में संलग्न होना चाहिए।

2. प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य:

बोलीदाता को पिछले 5 वर्षों के दौरान (30 नवंबर 2025 तक) निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार से इसी तरह के कार्यों (यानी कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी बाह्य उपकरणों के एएमसी/एफएमएस) को संतोषजनक ढंग से पूरा करने का अनुभव होना चाहिए-

अ) तीन (03) समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹20 लाख (निविदा के अनुमानित मूल्य का 40%) के बराबर राशि से कम नहीं है, या

आ) दो (02) समान पूर्ण किए गए कार्य प्रत्येक की लागत ₹25 लाख (निविदा के अनुमानित मूल्य का 50%) के बराबर राशि से कम नहीं है, या

इ) एक (01) समान पूर्ण कार्य जिसकी लागत ₹40 लाख (निविदा के अनुमानित मूल्य का 80%) के बराबर राशि से कम नहीं है।

विवरण अनुबंध - V में पूर्णता प्रमाणपत्र या कार्य आदेशों की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नोट:

(i) इस मानदंड के तहत पूर्ण किए गए कार्यों की स्वीकृति की कट-ऑफ दिनांक उस महीने से पहले का अंतिम दिन होगी जिसमें निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै का निर्णय कि क्या निविदाकर्ता का पिछला कार्य अनुभव निविदा दस्तावेज में दिए गए पात्रता मानदंड के तहत आवश्यक समान कार्य के रूप में योग्य है या नहीं, अंतिम होगा और सभी निविदाकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

3. बोलीदाता को 30 नवंबर, 2025 तक पिछले 03 वर्षों के दौरान कम से कम एक वित्तीय संस्थान/बैंक/सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आईटी परिसंपत्तियों की एएमसी और एफएमएस प्रदान की हुई होनी चाहिए। विवरण अनुबंध-V में पूर्णता प्रमाणपत्र/कार्य आदेशों की एक प्रति के साथ दिया जाना चाहिए।

4. एएमसी/एफएमएस सेवाओं से न्यूनतम वार्षिक कारोबार पिछले 3 वित्तीय वर्षों यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में से प्रत्येक के दौरान अनुमानित लागत का 100 प्रतिशत और लेखापरीक्षित या प्रमाणित खातों के विवरण से समर्थित होना चाहिए। एएमसी/एफएमएस व्यवसाय से राजस्व/कारोबार का स्पष्ट रूप से वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया जाना चाहिए या चार्टर्ड एकाउंटेंट के सत्यापन के साथ बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जमा किए जाने वाले दस्तावेज - पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए उनकी क्रेडिट योग्यता, टर्नओवर और शुद्ध लाभ के प्रमाण में आयकर रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां।

5. बोलीदाता के पास लागू कर पंजीकरण (पैन, टीआईएन, जीएसटी आदि) होना चाहिए।

6. बोलीदाता के पास चेन्नै में पर्याप्त तकनीकी स्टाफ होना चाहिए जिसके पास एएमसी और एफएमएस में विशेषज्ञता होनी चाहिए और आईटी परिसंपत्तियों के रखरखाव से निपटने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र होने चाहिए (बोलीदाता को अनुबंध-III में उल्लिखित वचनबद्धता प्रस्तुत करनी चाहिए)।

7. बोलीदाता के पास चेन्नै में एक कार्यालय और सेवा केंद्र होना चाहिए जो मरम्मत कार्य के लिए पर्याप्त तकनीकी कर्मचारियों और उपकरणों से सुसज्जित हो ताकि खंड VIII में उल्लिखित उक्त आईटी परिसंपत्तियों के लिए कम से कम 99% अपटाइम सुनिश्चित किया जा सके। सेवा केंद्रों का विवरण अनुबंध-IV में दर्शाया जाना चाहिए। बैंक सेवा केंद्र का निरीक्षण करने और बोलीदाता द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सेवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के बारे में खुद को संतुष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8. बोलीदाता के पास बैंक की आईटी परिसंपत्तियों यानी एचपी, डेल, लेनोवो, किसी अन्य समान ब्रांड आदि के ओईएम के लिए ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) प्रमाणन या प्राधिकरण या सेवा प्रदाता प्रमाणपत्र होना चाहिए (दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

9. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बोलीदाता निविदा में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोलीदाता भारत सरकार के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित बोलीदाताओं के संबंध में वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र अनुबंध VIII के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

10. बोलीदाता को पिछले 03 वर्षों में सार्वजनिक खरीद संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जान या माल की हानि करने या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत किसी अपराध की सजा के लिए प्रतिबंधित किया हुआ नहीं होना चाहिए। 03 वर्ष की अवधि की गणना इस तरह के प्रतिबंध की दिनांक से की जाएगी। साथ ही, बोलीदाता के खिलाफ कोई दिवालिया मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

11. आईएसओ प्रमाणन: बोलीदाता के पास सूचना सुरक्षा से संबंधित वैध आईएसओ 20000 प्रमाणन (आईटी सेवा प्रबंधन के लिए मान्यता) और आईएसओ 27001 प्रमाणन होना चाहिए।

12. एक बोलीदाता का अन्य बोलीदाताओं के साथ हितों का टकराव नहीं होगा। बोलीदाता को अनुबंध VIII(A) में उल्लिखित एक वचनपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(उपरोक्त बिंदु 01 से 12 के संबंध में सूचना के दस्तावेजी साक्ष्य को निविदा (भाग-I)) के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है)।

<u>निविदा दस्तावेज</u>

तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) में प्रस्तावित कार्य के मूल्य के बारे में किसी सूचना के बिना निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज शामिल होंगे। सभी बोली दस्तावेजों को जहां भी संभव हो प्रतिष्ठान के पत्र शीर्ष पर प्रिंट किया जाना चाहिए।

(i) <u>खंड- II</u> - निविदा का रूप
(ii) <u>खंड - III(B)</u> - करार की शर्तें
(iii) <u>खंड- IV</u> - बोलीदाताओं/वेंडर के लिए सामान्य अनुदेश और संविदा की विशेष शर्तें
(iv) <u>खंड-V</u>- संविदा की शर्तें
(v) <u>अनुभाग-VII</u> - कार्य का विस्तृत दायरा
(vi) पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार (प्रतिष्ठान की मुहर के साथ), निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित (अनुबंध XI)।
(vii) बोलीदाता प्रोफ़ाइल (अनुबंध I)
(viii) अनुपालन मैट्रिक्स (अनुबंध II)
(ix) योग्य सेवा इंजीनियरों की तैनाती के लिए वचनपत्र (अनुबंध III)
(x) चेन्नै में सेवा केंद्रों का विवरण (अनुबंध IV)
(xi) एएमसी और एफएमएस कार्य आदेशों का विवरण (अनुबंध V)
(xii) वचनपत्र का प्रारूप/क्षतिपूर्ति का प्रमाणपत्र (अनुबंध VI)

(xiii) ईएमडी के लिए लेन-देन विवरण (अनुबंध VII)

(xiv) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित बोलीदाताओं के संबंध में वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र (अनुबंध VIII)

(xv) हितों के अंतर्विरोध के लिए वचनपत्र - अनुबंध VIII(A)

(xvi) एफएमएस/एएमसी सेवा प्रदाता के कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र (एक सीलबंद लिफाफे में ग्राहक के पत्रशीर्ष पर प्रदान किया जाना है) - अनुबंध X

(xvii) सभी सांविधिक कानूनों के अनुपालन के संबंध में घोषणा/वचनपत्र - अनुबंध XII

(xviii) किसी अनुसूचित बैंक से बैंकरों के सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र का रूप - अनुबंध XIII

(xix) निविदा दस्तावेज में उल्लिखित कोई अन्य वचनपत्र ।

नोट: बोलीदाता(ओं) को सूचित किया जाता है कि वे दस्तावेज़ चेकलिस्ट - अनुबंध XIV देखें

एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड की गई तकनीकी बोली में उपरोक्त सभी सूचीबद्ध दस्तावेज और अनुबंध शामिल होने चाहिए जो विधिवत पूर्ण किए गए हों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्थित हों। सभी दस्तावेज स्व-सत्यापित, अनुक्रमित, फ्लैग लगे और पृष्ठ संख्या लिखे हुए होने चाहिए। नियम और शर्तों में विचलन, यदि कोई हो, का स्पष्ट रूप से निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध II में अनुपालन मैट्रिक्स में तकनीकी बोली में उल्लेख किया जाएगा।

मूल्य बोली (भाग-II) में किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो केवल प्रस्ताव मूल्य/दर कोट करने के लिए है। मूल्य बोली (भाग-II) का प्रारूप सूचना के लिए अनुबंध IX में दिया गया है । कृपया ध्यान दें कि वित्तीय/मूल्य बोली (भाग- II) केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन भरी जानी है।

<u>ख. मूल्य बोलियां (भाग- II)</u>

1. वित्तीय/मूल्य बोली - भाग II: यह भाग निविदा के भाग- I के अनुसार शर्तों के उचित पालन के बाद ही ऑनलाइन मोड के माध्यम से खोला जाएगा। निविदा के भाग II में पाए गए नियम और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा, क्योंकि यह भाग केवल प्रस्ताव मूल्य/दर कोट करने के लिए है। वित्तीय/मूल्य बोली (भाग-II) का प्रारूप सूचना के लिए अनुबंध IX में दिया गया है । दरें केवल भारतीय रुपये में कोट की जानी चाहिए। दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कोट की गई दरों में नीचे दिए गए कार्य के दायरे में निर्दिष्ट सभी लागतें शामिल होनी चाहिए और इसमें सभी लागू कर शामिल होने चाहिए। कृपया ध्यान दें कि वित्तीय/मूल्य बोली (भाग- II) केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन भरी जानी है। यह प्रस्ताव निविदा के वित्तीय/मूल्य

बोली (भाग-II) के खुलने की दिनांक से 90 दिनों के लिए वैध होना चाहिए। मूल्य बोली में किसी भी वस्तु (एएमसी/एफएमएस लागत) के लिए यदि कोट की गई दर और संबंधित राशि मेल नहीं खाती है, तो दोनों में से जो भी कम हो (यानी कोट की गई राशि का उपयोग करके गणना की गई राशि या मूल्य बोली में कोट की गई वास्तविक राशि) को अंतिम बोली राशि और बाद की संविदा, यदि कोई हो तो, की गणना के लिए राशि के रूप में लिया जाएगा।

2. सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों को चेन्नै में लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं देगा। गणना के उद्देश्य से दिनों की कुल संख्या 26 प्रति माह के रूप में ली जाएगी।

3. इसके अलावा, कोट की गई दरें संविदा अवधि और नवीकरण अवधि, यदि कोई हो, के दौरान लागू होंगी, बशर्ते कि वे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर संतोषजनक सेवाएं प्रदान करें। तय की गई दरों पर वार्षिक वृद्धि खंड X में दिए गए इंडेक्सेशन फॉर्मूले पर आधारित होगी। प्रत्येक वेंडर केवल एक बोली जमा कर सकता है।

4. मूल्य बोली में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए और इसे भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां) दस्तावेजों के भाग के रूप में अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों और कार्य के दायरे पर विचार करते हुए अपनी दरों को कोट करना चाहिए।

खंड III(A) - बोलियों का मूल्यांकन

1. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

(i) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) को पहले खोला जाएगा और पात्रता मानदंडों के प्रति जवाबदेही और पूर्णता निर्धारित करने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाएगा। इस स्तर पर तकनीकी बोलियों में विचलन के मामले में कोई भी स्पष्टीकरण/सुधार लिखित या ईमेल द्वारा मांगा जाएगा। निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इसे जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

(ii) भाग II - केवल उन निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली पर जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए पाए जाते हैं खोलने के लिए विचार किया जाएगा।

(iii) यदि बैंक सहित किसी भी संगठन में किसी भी कारण से निविदाकर्ता का कार्यनिष्पादन असंतोषजनक पाया गया है तो बैंक ऐसे निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(iv) बैंक अपने ग्राहकों से निविदाकर्ता के पिछले कार्यनिष्पादन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदा के भाग II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन कर सकता है। बैंक उक्त प्रतिष्ठान के स्थान का पता लगाने के लिए चेन्नै में स्थित निविदाकर्ता के सेवा सेट-अप/मरम्मत केंद्र का दौरा भी कर सकता है। यदि किसी भी निविदाकर्ता के पास किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों से प्राप्त उसकी कार्य निष्पादन/सेवा रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग I के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद, मूल्य मूल्यांकन के उद्देश्य से केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों की मूल्य बोलियां खोली जाएंगी।

2. मूल्य बोली का मूल्यांकन

अ. वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए वित्तीय/मूल्य बोली: सभी आंकड़े ₹ में हैं

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरे	अनुमानित मात्रा	वार्षिक एएमसी प्रति यूनिट मात्रा दरें (सभी करों सहित)
1	डेस्कटॉप कंप्यूटर	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क - पीसी ऑफ मेक - डेल, एचपी	240	
2	डेस्कटॉप AIOs	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क - डेल, एचपी, लेनोवो, एप्पल मेक के पीसी	80	
3	प्रिंटर	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क - एचपी, कैनन, एप्सन मेक के प्रिंटर	100	
4	स्कैनर	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क - एचपी, कैनन,एप्सन मेक के स्कैनर	25	
5	सीटीएस स्कैनर	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क - सभी मॉडल और मेक के सीटीएस स्कैनर - पाणिनी	1	
6	सर्वर	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क - सर्वर का मेक - डेल	3	
7	स्टोरेज	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क - स्टोरेज उपकरण के मेक - डेल	1	
8	लैपटॉप	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क - एचपी, डेल, लेनोवो, एसर, ऐप्पल, आसुस के लैपटॉप	10	
9	आईपैड	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क - एप्पल मेक के आईपैड	1	

नोट: ऊपर संदर्भित परिसंपत्तियों की मात्रा अनुमानित है जिसकी गणना वर्ष के लिए त्रैमासिक औसत के रूप में की जाती है। एएमसी के तहत परिसंपत्तियों की सटीक संख्या औपचारिक रूप से उस तिमाही के पोर्टफोलियो के लिए विशिष्ट प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में सूचित की जाएगी।

बी. सुविधा प्रबंधन सेवा के लिए वित्तीय/मूल्य बोली:

क्र.सं.	विवरण (वारंटी के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियों सहित सभी आईटी परिसंपत्तियों के लिए एफएमएस)			लाभ (%) (सभी करों सहित)
1	अपेक्षित जनशक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवा के लिए ओवरहेड और प्रशासनिक प्रभार (ओएसी) का प्रतिशत। (1 अत्यधिक कुशल, 8 कुशल और 1 अर्ध-कुशल)			
<u>प्रचलित न्यूनतम मजदूरी चार्ट</u>				
	जनशक्ति श्रेणी	अत्यधिक कुशल	कुशल	अर्ध-कुशल
	*वर्तमान न्यूनतम परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) सहित मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन	1,065	981	893
A	वीडीए सहित मूल (26 दिन)	27,690	25,506	23,218
B	सकल वेतन	27,690	25,506	23,218
	कटौतियाँ			
	पीएफ अंशदान @ 'ए' का 12%	3,322.8	3,060.72	2,786.16
	प्रति माह # व्यावसायिक कर	208.33	208.33	208.33
C	कुल सकल कटौती	3,531.13	3,269.05	2,994.49
	प्राप्त निवल वेतन	24,158.87	22,236.95	20,223.51
	नियोक्ता का योगदान			
	PF@12 %	3,322.8	3,060.72	2,786.16
D	कुल नियोक्ता योगदान	3,322.8	3,060.72	2,786.16
E	कंपनी की लागत (बी + डी) प्रति व्यक्ति प्रति माह	31,012.8	28,566.72	26,004.16

F	जनशक्ति की आवश्यकता	1	8	1
G	प्रति माह कंपनी के लिए कुल लागत	31,012.8	2,28,533.76	26,004.16
H	प्रति वर्ष कंपनी की कुल लागत	3,72,153.60	27,42,405.12	3,12,049.92
J	प्रति वर्ष कुल एफएमएस लागत	34,26,608.64		
	ओवरहेड + प्रशासन शुल्क (OAC)	मूल्य बोली में फर्म को ऊपर दिए गए 'जे' के प्रतिशत के रूप में कोट करने की आवश्यकता होती है (जीएसटी सहित - वर्तमान में 18% + सभी लागू कर)		

नोट:

कार्य की निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ओएसी प्रभारों में मजदूरी घटक का न्यूनतम 3% भी होना चाहिए।

* वर्तमान न्यूनतम मजदूरी: दरें 25 सितंबर 2025 के मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय के आदेश संख्या F.No.1/6(3)/2025-LS-II से ली गई हैं। ये दरें केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों/आदेशों के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

व्यावसायिक कर: समय-समय पर तमिलनाडु राज्य सरकार के दिशानिर्देशों/आदेशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन।

i. फर्मों को कुल शुल्क के प्रतिशत के रूप में ओवरहेड और प्रशासनिक शुल्क (ओएसी शुल्क) कोट करना होगा, जिसमें बैंक के स्थानों/संपत्तियों पर कर्मचारियों/तैनात इंजीनियरों के सभी करों को शामिल किया जाएगा, जैसा कि खंड IX में निर्दिष्ट किया गया है। अपने स्टाफ सदस्यों को उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी और अन्य सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर श्रमिकों को दिए गए उपरोक्त लाभों के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा। किसी भी कमी के मामले में बिलों से कटौती की जाएगी। फर्म को उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी और अन्य अनिवार्य योगदान के अनुसार वेतन के भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता होगी। साक्ष्य एएमसी बिल के साथ संलग्न होना चाहिए। ऊपर दर्शाया गया प्रतिशत संपूर्ण संविदा अवधि के दौरान निश्चित रहेगा। हालांकि, न्यूनतम मजदूरी आदि में वृद्धि के आधार पर एफएमएस राशि स्वचालित रूप से संशोधित की जाएगी। यदि कंपनी उपर्युक्त किसी भी वस्तु/सुविधा के भुगतान के संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो उसे त्रैमासिक बिल से काट लिया जाएगा।

ii. ठेकेदार प्रासंगिक अधिनियमों, कानूनों आदि के तहत देय बोनस का भुगतान सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए बोनस की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा वास्तविक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक अधिनियमों, कानूनों आदि के संदर्भ में की जाएगी।

iii. कीमतों को अनुबंध IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार कोट किया जाना है। भाग ए में एएमसी के तहत परिसंपत्तियों के लिए प्रति इकाई मूल्य शामिल है और भाग बी में कुल शुल्क के प्रतिशत के रूप में ओवरहेड और प्रशासनिक शुल्क (ओएसी शुल्क) शामिल हैं। भाग ए और भाग बी का कुल योग मूल्यांकन के लिए कुल निविदा लागत होगी। बोलीदाता जो एएमसी और एफएमएस प्रदान करने के लिए सबसे कम कुल लागत का उल्लेख करता है उसे एल1 बोलीदाता माना जाएगा और उसे निविदा प्रदान की जा सकती है।

iv. कोट की गई दरों में सभी लागतें और लागू कर शामिल होने चाहिए।

खंड III(B) - करार की शर्तें

1. इस संविदा में निर्धारित शर्तों और समय पर और जिस तरीके से भुगतान किया जाना है, उसी पर विचार करते हुए, वेंडर उक्त शर्तों के अधीन संविदा को निष्पादित करेगा जैसा कि उक्त विनिर्देशों और आईटी परिसंपत्तियों की सूची में वर्णित है।

2. बैंक वेंडर को उक्त संविदा राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय हो जाएगी।

3. बैंक कार्यों के पर्यवेक्षण, बिलों के प्रमाणन, भुगतान करने और संविदा के विभिन्न नियमों, शर्तों और शर्तों के कार्यान्वयन के प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए सीधे व्यवस्था करेगा।

4. उक्त शर्तों और परिशिष्टों को इस करार के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा, और इसके लिए पक्ष क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे और उक्त शर्तों के अनुसार क्रमशः अपनी-अपनी ओर से करार का पालन करेंगे।

5. यहां उल्लिखित विनिर्देश, करार और दस्तावेज इस संविदा का भाग होंगे।

6. यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही खंडित कार्य संविदा है, बल्कि भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी परिधीय उपकरणों के लिए एएमसी और एफएमएस की संपूर्णता के संबंध में काम करने के लिए एक अनुबंध है, जिसका भुगतान दरों की अनुसूची और संभावित मात्रा में निहित दर पर निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार या उक्त शर्तों में प्रदान की गई दर पर किया जाना है।

7. वेंडर भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी परिधीय के लिए एफएमएस और एएमसी से संबंधित सभी कार्यों और उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से अन्य सहायक कार्यों को पूरा करने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा।

8. बैंक इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य की किसी भी वस्तु को जोड़कर या हटाकर या उसी के कुछ हिस्सों को पूरा करके कार्य की आवश्यकताओं को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. समय को इस संविदा का सार माना जाएगा और वेंडर एतद्द्वारा 01 अप्रैल 2026 से कार्य शुरू करने के लिए सहमत है। संविदा 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए लागू होगी, और इस करार के खंड धारा VIII में निर्दिष्ट सभी वस्तुएं इसमें शामिल होंगी। निविदा नोटिस में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें इस करार का हिस्सा होंगी। संविदा को अधिकतम दो और वर्षों (एक समय में एक वर्ष) तक वार्षिक आधार पर आपसी सहमति से इन्हीं नियमों और शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है बशर्ते वेंडर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक पाई जाएं। यदि वेंडर का निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है, तो संविदा को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

10. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल चेन्नै में किए जाएंगे। जुर्माना और टीडीएस/जीएसटी, यदि कोई लागू हो, की कटौती के बाद शुल्क का भुगतान प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद तिमाही आधार पर किया जाएगा। करों का भुगतान लागू के रूप में किया जाएगा। उठाए गए चालान में करों को स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा। सेवा आदेश के खिलाफ कोई अग्रिम भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। वेंडर बैंक को त्रैमासिक रखरखाव शुल्क के भुगतान के लिए कर चालान प्रस्तुत करेगा। विभागवार ब्रेकडाउन का विवरण प्रस्तुत करने वाली समेकित शिकायत रिपोर्ट, दर्ज की गई कॉल/अटेंड की गई कॉल को बनाए रखा जाना चाहिए। त्रैमासिक भुगतान जारी करने के लिए त्रैमासिक निवारक अनुरक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैंक जैसा उचित समझे, भुगतान जारी करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज मांग सकता है।

11. करार की समाप्ति

कोई भी पक्ष तीन महीने की लिखित सूचना देकर संविदा की अवधि समाप्त होने से पहले करार को समाप्त कर सकता है। इन नियमों और शर्तों या करार में निहित किसी भी अन्य प्रावधान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में लिखित रूप में 30 दिनों के नोटिस द्वारा करार को समाप्त कर सकता है:

i. वेंडर करार का प्रत्यक्ष उल्लंघन करता है और जिसे वह ठीक करने में असमर्थ है, या
ii. वेंडर कोई प्रत्यक्ष उल्लंघन करता है और जिसे वह ठीक करने में समर्थ है लेकिन वेंडर बैंक द्वारा चूक की घटना को निर्दिष्ट करते हुए लिखित नोटिस दिए जाने के 30 दिनों के भीतर उल्लघंन को दूर करने में विफल रहता है।

इस करार की समाप्ति चाहे किसी भी कारण से हो यह करार से उत्पन्न होने वाले बैंक या वेंडर के किसी भी अर्जित अधिकार या देनदारियों को प्रभावित नहीं करेगी।

12. इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को चेन्नै में उत्पन्न माना जाएगा और चेन्नै में न्यायालयों के पास केवल इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

13. कि इस संविदा के सभी भागों को वेंडर द्वारा पढ़ा गया है और वेंडर द्वारा पूरी तरह से समझा गया है। वेंडर निविदा में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा के भुगतान के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि बैंक से विशिष्ट लिखित निर्देशों द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है।

14. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

"कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए वेंडर पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(i) बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत वेंडर द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और वेंडर शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगा।

(ii) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ वेंडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति के संज्ञान में लाया जाएगा।

(iii) यदि घटना में वेंडर के कर्मचारी शामिल है, उदाहरण के लिए, यदि वेंडर के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित होती है तो बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तब वेंडर किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होंगे।

(iv) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए वेंडर जिम्मेदार होंगे।

(v)

वेंडर उन श्रमिकों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जिन्हें वह इस करार के तहत दिए गए कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से नियुक्त करेगा और नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उनका पूरा नाम और पता देगा। वेंडर की ओर से यह अनिवार्य है कि वह करार के तहत कार्य शुरू करने से पहले उसके द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों के पूर्ववृत्त और चरित्र की विधिवत जांच करवाए।

15. अप्रत्याशित घटना:

(i)यदि करार के जारी रहने के दौरान, किसी भी समय किसी युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक शत्रु के कृत्यों, नागरिक हंगामे, आतंकवादी गतिविधियों, अशांत कानून व्यवस्था की स्थिति, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, प्राकृतिक आपदाएं, हड़तालें, तालाबंदी या दैवीय कार्य (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित) कार्य निष्पादन में पूरी तरह से या आंशिक रूप से देरी होती है तो न तो कोई भी पार्टी इस तरह की घटना के कारण, करार के अधीन कार्यनिष्पादन में समग्र या आंशिक रूप से विलंब होने की स्थिति में, दोनों में से कोई भी पार्टी इस करार को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा और न ही किसी भी पक्ष के पास इस तरह के गैर-

कार्यनिष्पादन या करार के तहत कार्यनिष्पादन और सुपुर्दगी में देरी के संबंध में दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए दावा नहीं करेंगे, बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना किसी एक पार्टी द्वारा दूसरे को घटना घटित होने की दिनांक से 14 दिनों के भीतर दी जाती है। इस तरह की घटना के समाप्त होने या उसका अस्तित्व समाप्त होने के बाद, करार को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाएगा। बशर्ते यह भी कि यदि करार के तहत किसी दायित्व के पूर्ण या आंशिक कार्यनिष्पादन को 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए, ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, तो दोनों में से कोई भी पक्ष करार को समाप्त करने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है। ऐसी किसी भी घटना के चालू रहने के दौरान, प्रत्येक पक्ष ऐसे गैर-निष्पादन या विलंबित कार्यनिष्पादन के कारणों से बचने या उन्हें दूर करने के लिए उचित प्रयास करेंगे।

ऐसी किसी भी घटना की निरंतरता के दौरान, प्रत्येक पक्ष इस तरह के गैर-कार्यनिष्पादन या विलंबित कार्यनिष्पादन के कारणों से बचने या हटाने के लिए उचित प्रयास करेगा।

16. देनदारियां और क्षतिपूर्तियां: वेंडर यह प्रतिनिधित्व करता है और यह वारंटी देता है कि सेवा/उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव किसी अन्य इकाई के किसी भी पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य या अन्य संपत्ति अधिकार का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करता है। वेंडर किसी भी दावे के संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उल्लंघन या इस वारंटी के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

17. वेंडर अनुबंध-XII में उल्लिखित घोषणा के साथ श्रम कानूनों के तहत निर्धारित सभी सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा।

18. बैंक की सूचना सुरक्षा (आईएस) नीति का पालन: वेंडर बैंक की आईएस नीति के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा।

19. गैर-प्रकटीकरण: वेंडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, आईटी परिसंपत्तियों और बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण आदि के विवरण का खुलासा किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं करेगा, जो करार के संबंध में उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान वेंडर के कब्जे या संज्ञान में आ सकती है, और हर समय इसे कड़ाई से गोपनीय रखेगा। वेंडर संविदा के विवरण को इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक को छोड़कर निजी और गोपनीय मानेगा । वेंडर बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। वेंडर किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान

के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को वेंडर की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। वेंडर अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतोषजनक हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में वेंडर के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्त किए जाने के बाद भी जारी रहेंगे।

स्थान: वेंडर के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

दिनांक: वेंडर का नाम और पता

खंड IV - बोलीदाताओं/वेंडर के लिए सामान्य अनुदेश और संविदा की विशेष शर्तें

1. निविदा जारी करना और जमा करना:

(i) इस निविदा में भाग लेने की अनुमति सार्वजनिक रूप से उन सभी बोलीदाताओं को दी जाएगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में "सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरीफरेल्स के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए ई-निविदा के संबंध में खंड VII (कार्य का विस्तृत दायरा) में बैंक द्वारा निर्दिष्ट सभी तकनीकी-वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ii) निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे संविदा की सामान्य शर्तों और निविदा दस्तावेजों में विनिदष्ट कार्यों के विस्तृत दायरे के आधार पर अपनी बोलियां प्रस्तुत करें और किसी भी प्रकार के विचलन को निर्धारित न करें। यदि निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति का कोई मूल्य निहितार्थ है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और कोट किए गए मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। निविदा में उल्लिखित नियमों और शर्तों से विचलन वाली बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

(iii) सभी जानकारी, पत्राचार और पत्र ditchennai@rbi.org.in को ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे या क्षेत्रीय निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य कार्यालय भवन, नंबर 16, राजाजी साल्लै , फोर्ट ग्लासिस, चेन्नै - 600001 को संबोधित किया जाएगा।

2. भाग II -मूल्य :

i. इस भाग में केवल भारतीय रुपये में ही मूल्य दिए जाएंगे और निविदा के भाग-1 में दी गई शर्तों की विधिवत पूर्ति के बाद ही इसे ऑनलाइन माध्यम से खोला जाएगा। निविदा के भाग-2 में पाई गई शर्तों और नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या तकनीकी खामी स्वीकार नहीं की जाएगी और निविदा अमान्य मानी जाएगी।

ii. दरें केवल भारतीय रुपये में ही बताई जानी चाहिए । दरों या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. कोट की गई दरें संविदा के पहले वर्ष के लिए निविदा के भाग-II पर आधारित होंगी और बाद के वर्षों के लिए, नियम एवं शर्तों के खंड X के अनुसार अनुक्रमण के अधीन, निश्चित और बाध्यकारी होंगी।

iv. मूल्य बोली में किसी भी मद (एएमसी/एफएमएस लागत) के लिए, यदि कोट की गई दर और संबंधित राशि मेल नहीं खाती है, तो दोनों में से कम राशि (अर्थात कोटी की गई दर का

उपयोग करके गणना की गई राशि या मूल्य बोली में कोट की गई वास्तविक राशि) को अंतिम बोली राशि और बाद की संविदा (यदि कोई हो) की गणना के लिए राशि के रूप में लिया जाएगा।

3. संविदा में निर्दिष्ट कार्य न करने की स्थिति में, बैंक अपने विवेकानुसार निविदा में उल्लिखित कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी को भुनाकर बिना कोई कारण बताए और वेंडर को आगे सूचित किए बिना संविदा समाप्त कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और वेंडर पर बाध्यकारी होगा तथा वेंडर को इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

4. **निविदा की वैधता:** निविदा और कीमतों की वैधता निविदा के भाग II के खुलने की दिनांक से प्रारंभ में 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिसे बैंक और निविदाकर्ता के बीच लिखित रूप में आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

5.**बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।** बैंक निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत कीमतों पर निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदा प्रस्तुत करने के दौरान या उससे संबंधित किसी भी लागत, शुल्क, क्षति या व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा में संशोधन/वापसी करने का निर्णय ले।

6.**बयाना जमाराशि (ईएमडी):**

(i) इच्छुक निविदाकर्ताओं को खंड-XI में उल्लिखित किसी भी माध्यम से **₹1,00,000/-** की बयाना राशि (EMD) जमा करनी होगी ।

(ii) **निविदा सूचना में उल्लिखित रूपों के अलावा किसी अन्य रूप में ईएमडी स्वीकार नहीं की जाएगी।**

(iii) बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई अग्रिम राशि की स्कैन की गई प्रति ईमेल के माध्यम से ditchennai@rbi.org.in पर अंतिम दिनांक से पहले भेज दें। हालांकि, अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम दिनांक से पहले वास्तविक वित्तीय लिखत/राशि प्राप्त किए बिना स्कैन की गई प्रति की प्राप्ति को अग्रिम राशि जमा करना/प्राप्त करना नहीं माना जाएगा।

(iv) बोली अपलोड करते समय ईएमडी को भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में (स्कैन करके) जमा करना होगा। हालांकि, भुगतान की प्रक्रिया के लिए, बोलीदाता को ईएमडी की मूल प्रति आरबीआई, चेन्नै को डाक द्वारा

या हाथ से भेजनी होगी ताकि वह बयाना राशि जमा करने की अंतिम दिनांक/समय से पहले हम तक पहुंच जाए।

(v) निविदा जमा करते समय असफल निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई ईएमडी निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें वापस कर दी जाएगी।

(vi) **सफल निविदाकर्ता द्वारा भुगतान की गई ₹1,00,000/-** की बयाना जमा राशि (ईएमडी) को बैंक द्वारा संविदा के निष्पादन और उचित अनुपालन के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में तब तक रखा जाएगा, जब तक वेंडर द्वारा निर्धारित प्रतिभूति जमा/ कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी जमा नहीं कर दी जाती। बैंक द्वारा ईएमडी या प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(vii) अंतिम दिनांक/समय तक बयाना राशि जमा न करने पर प्राप्त बोलियों को अनुत्तरित माना जाएगा।

(viii) यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है, तो दोषी बोलीदाता(कों) की ईएमडी जब्त की जा सकती है।

7.**बिलों का भुगतान**

i. भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा जिसमें एफएमएस और एएमसी घटक शामिल होंगे। भुगतान का एएमसी हिस्सा तिमाही के दौरान व्यापक एएमसी के अंतर्गत आने वाली आईटी संपत्तियों की मात्रा पर आधारित होगा। भुगतान का एफएमएस हिस्सा आवश्यक कर्मचारियों की उपस्थिति के अनुपात में होगा। एफएमएस के भुगतान/कटौती के लिए एक महीने में दिनों की संख्या 26 मानी जाएगी।

ii. बैंक, वेंडर से तिमाही बिल और संबंधित निर्देशों के अनुपालन को दर्शाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर रखरखाव शुल्क के लिए तिमाही भुगतान जारी करेगा।

iii. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938, संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 आदि तथा देश में प्रचलित अन्य श्रम कानून , जो भी लागू हो। वेंडर को इस संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसा न करने पर बैंक को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक की अवधि के लिए भुगतान रोकने का अधिकार होगा।

iv. वेंडर द्वारा सहायक इंजीनियरों (आरई) का वेतन केवल एनईएफटी/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके बैंक खाते में ही वितरित किया जाएगा। एनईएफटी/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए भुगतान की प्रति, बैंक विवरण, सभी आरई की वेतन पर्ची, मासिक ईएसआई और ईपीएफ कटौती के प्रमाणपत्र आदि बिल के साथ मांग पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। वेंडर द्वारा आरई को कोई नकद भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक के पास इस संबंध में अनुपालन सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित है और वेंडर को किसी भी समय बैंक में तैनात आरई के संबंध में आवश्यक न्यूनतम मजदूरी और अन्य सभी आवश्यक सांविधिक भुगतान किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही, बैंक कंपनी/फर्म के नियमित कर्मचारी के रूप

में आरई के पे रोल पर होने का प्रमाण मांग सकता है। यह शर्त समय-समय पर बैंक में प्रतिनियुक्त बैकअप इंजीनियरों पर भी लागू होगी।

v. संविदा की अवधि के दौरान, यदि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में कोई वृद्धि घोषित की जाती है, तो बैंक न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता को पूरा करने की सीमा तक वहन करेगा, बशर्ते तैनात किए गए पुनर्शिक्षित श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी के भुगतान के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।

vi. वेंडर सभी करों, शुल्कों और करों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्थानीय शुल्क, केंद्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कार्य संविदा कर आदि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, सिवाय लागू होने वाले जीएसटी के, यदि कोई हो, जो कानून के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों को देय हैं। बैंक उपरोक्त भुगतान के संबंध में वेंडर द्वारा किए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। इसके अलावा, बैंक कानून के अनुसार आवश्यक कर कटौती स्रोत पर करने के लिए स्वतंत्र होगा और इसके लिए वेंडर को एक प्रमाण पत्रजारी किया जाएगा।

vii. वेंडर द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में कोई भी आपत्ति भुगतान की दिनांक से दस (10) दिनों के भीतर बैंक के ध्यान में लाई जा सकती है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

8. **संविदा पर हस्ताक्षर करना**

i. निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न संविदा की शर्तें और तकनीकी विनिर्देश, बैंक और निविदाकर्ता के बीच हुए पत्राचार और दिए गए कार्य आदेश, सफल निविदाकर्ता के साथ की जाने वाली अंतिम संविदा का आधार होंगे।

ii. निविदाकर्ता को संविदा की सामान्य शर्तों में दी गई सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसका प्रस्ताव इन शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। निर्धारित शर्तों से किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। वेंडर को निविदा दस्तावेजों, संविदा की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि से भलीभांति परिचित होना चाहिए।

iii. बैंक से निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा और इसके **सात (7 दिन)** के भीतर , सफल निविदाकर्ता मसौदा करार और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।

iv. संविदा पर हस्ताक्षर करने से संबंधित सभी खर्च वेंडर द्वारा वहन किए जाएंगे।

9. इस संविदा की शर्तों के तहत वेंडर द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि बैंक द्वारा **बयाना जमाराशि/ प्रतिभूति जमाराशि** से काटी जा सकती है , यदि राशि इसके लिए पर्याप्त है तो राशि के काटे जाने के बाद यदि जमा राशि देय हो जाती है तो ऐसी कटौती के **दस दिनों** के भीतर वेंडर काटी गई राशि की भरपाई करेगा।

10. वेंडर संविदा का हस्तांतरण नहीं करेगा। वह बैंक की लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी भाग की उप-संविदा नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के विभागाध्यक्ष, डीआईटी या बैंक द्वारा नामित किसी अन्य प्रतिनिधि को वेंडर को लिखित नोटिस जारी करने का आदेश दे सकता है और जिसके तहत संविदा को रद्द कर दिया जाएगा और वेंडर के विरुद्ध अन्य उपायों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के सुरक्षा जमा राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

11. वेंडर निविदा दस्तावेजों के विवरण और बैंक के निर्देशों के अनुसार ही सभी कार्य करेगा।

12. वेंडर द्वारा वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) और सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स सहित आईटी परिसंपत्तियों की सूची खंड VIII में दी गई है। बैंक के विवेकानुसार इस सूची में बदलाव, कटौती या परिवर्धन किया जा सकता है। प्रत्येक निविदाकर्ता को अनुबंधIX में दिए गए उदाहरण प्रारूप के अनुसार दरें कोट की जानी चाहिए ।

13. निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करने और संविदा करने के उद्देश्य से आवश्यक सभी जानकारी स्वयं अपने उत्तरदायित्व और अपने खर्च पर प्राप्त करनी होगी तथा कार्य स्थल का निरीक्षण करना होगा और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य स्थल तक पहुँचने के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से स्वयं को परिचित कराना होगा।

14. कोट की गई दरें **सभी लागतों** और **सभी लागू करों** सहित होनी चाहिए ।

15. दरें स्थिर रहेंगी और इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, श्रम संबंधी शर्तें या अन्य कोई भी शर्त लागू नहीं होगी। निविदाकर्ताओं को अपनी दरों में सभी करों को शामिल करना होगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) या किसी अन्य कर, शुल्क या प्रभार, चाहे वह वर्तमान में लागू हो या भविष्य में लागू हो, के संबंध में बैंक द्वारा अलग से कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16. संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य पूरी सावधानी के साथ किया जाएगा और यदि वेंडर निर्दिष्ट अवधि के दौरान कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संविदा की शर्तों में परिभाषित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

17. वेंडर को कार्य निष्पादन के कारण हुई किसी भी हानि के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे वह हानि कार्य में संशोधन, उससे संबंधित उप-संविदा, परियोजना के अन्य कार्यों के लिए संविदा देने, ऐसे कार्यों के प्रारंभ या समापन, या किसी अन्य कारण से हुई हानि हो। बैंक इस संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक निविदा राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार बदलाव किए जा सकें।

18. सफल निविदाकर्ता कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसे कार्य मात्रा और दरों में शामिल न हों। ऐसे अतिरिक्त कार्यों और उनकी मात्राओं के संबंध में अनुदेश अनुसूची बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।

(i) सफल निविदाकर्ता को बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना होगा ताकि काम सुचारू रूप से, कम से कम देरी के साथ और बैंक की संतुष्टि के अनुसार आगे बढ़ सके।

(ii) वेंडर को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य बैंक द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तथा बैंक की आवश्यकताओं के अनुपालन में ही किए जाएंगे तथा किसी भी कारण से इनमें कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iii) सफल निविदाकर्ता को कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक सभी आईटी संसाधनों को प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

19. वेंडर आईटी परिसंपत्तियों के एएमसी और एफएमएस से संबंधित सुरक्षा के लिए आम तौर पर आवश्यक प्रावधानों का सख्ती से पालन करेगा।

20. यदि सफल निविदाकर्ता निविदा/संविदा की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो उसकी प्रतिभूति जमाराशि जब्त कर ली जाएगी।

21. यदि वेंडर को सामान्य शर्तों, विशेष शर्तों, कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों या संविदा से संबंधित किसी अन्य मामले के अर्थ के बारे में कोई संदेह हो, तो निविदा प्रस्तुत करने से पहले, उचित समय पर, वह उसका विवरण लिखित रूप में बैंक को प्रस्तुत करे, ताकि निविदा **प्रस्तुत करने से पहले उसके** संदेह को आधिकारिक रूप से लिखित में स्पष्ट किया जा सके । निविदा प्रस्तुत हो जाने के बाद, ऐसी प्रामाणिक पूर्व-स्पष्टीकरण के अभाव में, मामले का निर्णय निविदा की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

22. बैंक निविदा में उल्लिखित कार्य को अपने विवेकानुसार दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं के बीच उप-विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और वेंडरों को विभिन्न मदों के लिए कोट की गई दरों पर उनके पास रखे गए मदों के कुछ हिस्सों के लिए आदेशों का निष्पादन करना होगा। बैंक आदेश दिए जाने के बाद मात्रा बढ़ाने या घटाने और यहां तक कि किसी भी मद को हटाने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और वेंडर को इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लिए बिना उसका निष्पादन करना होगा। इस संदर्भ में, प्रत्येक मद के लिए कोट की गई दरें स्वतः सिद्ध और प्रासंगिक होनी चाहिए।

23. **त्रुटियाँ, चूक और विवरण:**

त्रुटियों, कमियों और/या असहमति की स्थिति में, वरीयता का निम्नलिखित क्रम लागू होगा:

(i) विनिर्देशों में दी गई वस्तु के लिखित विवरण और उसी वस्तु के विस्तृत विवरण में से, विस्तृत विवरण को ही मान्य माना जाएगा।

(ii) अंकों और शब्दों में लिखी गई दरों में अंतर होने की स्थिति में, शब्दों में लिखी गई राशि ही मान्य होगी।

(iii) निविदा की प्रतिलिपि/बाद की प्रतियों और मूल निविदा के बीच, मूल निविदा को ही सही माना जाएगा।

24. किसी भी मद या विनिर्देश में चूक और/या संदेह या विसंगति के मामलों में, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के विभागाध्यक्ष को संदर्भ भेजा जाएगा, और उनके द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक अधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, विस्तृत विवरण या निर्णय अंतिम माना जाएगा।

25. **मुख्य श्रम आयुक्त से श्रम लाइसेंस:**

वेंडर संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और अधिनियम में निर्मित नियमों के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें यथालागू पूरा करेगा।

26. प्रतिबंधित प्रथाएं :

क) यदि किसी बोलीदाता को पिछले 3 वर्षों में सार्वजनिक खरीद संविदा के निष्पादन के दौरान किसी जानमाल की हानि पहुंचाने या सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है, तो उसे बोली लगाने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

ख) बैंक की यह अपेक्षा है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के इच्छुक निविदाकर्ता/वेंडर संविदा/कार्य की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शब्दों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:

(i) **भ्रष्ट आचरण** : खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या खरीद प्रक्रिया या संविदा निष्पादन को प्रभावित करने के बदले रिश्वत, पुरस्कार, उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश करना, मांगना या स्वीकार करना।

(ii) **धोखाधड़ीपूर्ण आचरण** : कोई भी ऐसी चूक या गलतबयानी जिससे वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए गुमराह किया जा सके या गुमराह करने का प्रयास किया जा सके। इसमें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने, संविदा प्राप्त करने या संविदा के निष्पादन के लिए झूठी घोषणा करना या झूठी जानकारी प्रदान करना शामिल है।

(iii) **प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार** : दो या दो से अधिक बोलीदाताओं के बीच कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवस्था, या प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में आने वाला कोई

अन्य व्यवहार, जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है या बोली की कीमतों को कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर निर्धारित कर सकता है।

(iv) **दबावपूर्ण व्यवहार** : खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने या किसी संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए व्यक्तियों या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।

(v) **हितों में अंतर्विरोध** : किसी भी बोलीदाता का अन्य बोलीदाताओं के साथ हितों में अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। हितों में ऐसा अंतर्विरोध खरीद संस्था के हितों के लिए हानिकारक प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों को जन्म दे सकता है। हितों में अंतर्विरोध पाए जाने वाले बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई बोलीदाता निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक स्थिति में इस बोली प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षों के साथ हितों में अंतर्विरोध रखता है, तो उसे ऐसा माना जा सकता है:

- उनके पास एक या अधिक नियंत्रक भागीदार हैं; या
- उन्हें इनमें से किसी से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सब्सिडी/वित्तीय हिस्सेदारी प्राप्त होती है या प्राप्त हुई है; या
- इस बोली के प्रयोजन के लिए उनका एक ही कानूनी प्रतिनिधि/एजेंट है; या
- उनका आपस में प्रत्यक्ष या सामान्य तृतीय पक्षों के माध्यम से ऐसा संबंध है, जो उन्हें किसी अन्य बोलीदाता की बोली के बारे में जानकारी प्राप्त करने या उसे प्रभावित करने की स्थिति में रखता है।
- विदेशी खरीद के लिए अपने प्रमुख निर्माताओं की ओर से बोली लगाने वाले एजेंटों के मामलों में, एक एजेंट दो निर्माताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता या किसी विशेष निविदा पूछताछ में उनकी ओर से बोली नहीं लगा सकता। एक निर्माता केवल एक एजेंट/डीलर को ही अधिकृत कर सकता है। निम्नलिखित में से केवल एक ही बोली स्वीकार की जा सकती है:
  - मुख्य निर्माता प्रत्यक्ष रूप से या अपनी ओर से किसी भारतीय एजेंट के माध्यम से; और
  - केवल एक ही मुख्य व्यक्ति की ओर से भारतीय/विदेशी एजेंट।

- यदि किसी बोलीदाता या उसके किसी सहयोगी ने बोली की विषय वस्तु संविदा के डिजाइन या तकनीकी विशिष्टताओं की तैयारी में सलाहकार के रूप में भाग लिया हो,
- यदि किसी होल्डिंग कंपनी के एक से अधिक स्वतंत्र विनिर्माण इकाइयाँ हैं, या एक से अधिक इकाइयाँ समान व्यवसाय स्वामित्व/प्रबंधन वाली हैं, तो केवल एक इकाई को ही बोली लगानी चाहिए। निकट संबंधी सहयोगी कंपनियों पर भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लागू होंगे। बोलीदाताओं को समान/समान व्यवसाय क्षेत्र में ऐसी

सहयोगी/सामान्य व्यवसाय/प्रबंधन इकाइयों की सक्रिय रूप से घोषणा करनी होगी; और

(vi) **बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियाँ** : खरीददार संस्था द्वारा उपर्युक्त निषिद्ध गतिविधियों में से एक या अधिक के आरोपों की जांच में जानबूझकर बाधा डालना; जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करना, उनमें हेरफेर करना, उन्हें बदलना; या उन्हें छिपाना; या जांचकर्ताओं को झूठे बयान देना और/या किसी भी पक्ष को धमकी देना, परेशान करना या डराना ताकि उसे जांच से संबंधित मामलों की जानकारी प्रकट करने या जांच को आगे बढ़ाने से रोका जा सके; या खरीददार संस्था के लेखापरीक्षा के अधिकार या सूचना तक पहुंच के अधिकार में बाधा डालना;

(vii) बैंक किसी निविदा प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है यदि वह यह निर्धारित करता है कि निविदा के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता ने संबंधित निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने में निषिद्ध प्रथाओं में संलिप्तता दिखाई है।

(viii) बैंक किसी निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि किसी भी समय बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता ने संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या संविदा को निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में संलिप्तता दिखाई है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हूं/हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ता के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों और विशेष शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान: **वेंडर के हस्ताक्षर (मुहर सहित)**

दिनांक: **वेंडर का नाम और पता**

खंड V - यहां संदर्भित शर्तें

1. खंड की व्याख्या:

इन शर्तों, विशिष्टताओं, आईटी परिसंपत्तियों की सूची और संविदा करार की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों का वही अर्थ होगा जो यहाँ उन्हें दिया गया है, सिवाय इसके कि जहाँ विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

1.	बैंक:	इसका तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै से होगा और इसमें इसके समनुदेशिती और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
2.	वेंडर:	वेंडर का अर्थ है एक ऐसा वेंडर जो के अंतर्गत निगमित हो और जिसका पंजीकृत कार्यालय .....में स्थित है और इसमें उसके समनुदेशिती और उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे।
3.	साइट:	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य कार्यालय, संख्या 16, राजाजी साल्लै, फोर्ट ग्लासिस, चेन्नै – 600001 में संविदा स्थल होगा और इसमें खंड IX में दी गई संपत्तियां शामिल हैं ।
4.	यह संविदा:	इसमें संविदा के अनुच्छेद, विशेष शर्तें, अन्य शर्तें, परिशिष्ट, आईटी परिसंपत्तियों की सूची और इसके साथ संलग्न तथा विधिवत हस्ताक्षरित कार्यक्षेत्र एवं अन्य पत्र या संचार शामिल होंगे।
5.	लिखित में सूचना:	लिखित सूचना का अर्थ है लिखित रूप में दी गई सूचना, जो टाइप की गई हो या मुद्रित अक्षरों में हो और पंजीकृत डाक या ईमेल द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक/ईमेल पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजी गई हो (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न की गई हो या अन्यथा प्राप्ति सिद्ध न हुई हो), और इसे उस समय प्राप्त माना जाएगा जब डाक की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार यह वितरित हो जाती।
6.	दिवालियापन अधिनियम:	इसका अर्थ प्रेसिडेंसी द्वारा परिभाषित दिवालियापन की कोई भी कार्रवाई होगी। प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता कोड 2016 या कोई भी अधिनियम जो ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करता हो।
7.	कार्य:	"भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी)" जिसमें खंड IX में दिए गए अनुसार परिसंपत्तियां शामिल हैं ।

8.	विभागाध्यक्ष, डीआईटी, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै	विभागाध्यक्ष, डीआईटी, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै या किसी भी कारण से उनकी अनुपस्थिति में, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी।
9.	अपील प्राधिकारी	क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी अधिकारी, आरबीआई, चेन्नै

व्यक्तियों को दर्शाने वाले शब्दों में फर्म और निगम शामिल हैं। एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होता है और संदर्भ के अनुसार इसका विपरीत भी लागू होता है।

2. संविदा का दायरा:

वेंडर उक्त कार्य को इस संविदा के अनुसार और बैंक के निदेशों के अनुरूप तथा बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूर्णतः संपन्न करेगा। बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से और समय-समय पर अतिरिक्त लिखित अनुदेश, विस्तृत निदेश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "बैंक के अनुदेश" कहा जाएगा।

i. कार्यों की गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन या संशोधन, या किसी कार्य को जोड़ने, हटाने या प्रतिस्थापन करना।
ii. एएमसी और एफएमएस के अंतर्गत परिसंपत्तियों की सूची और/या मात्रा और/या विनिदेश में कोई भी विसंगति।
iii. वेंडर द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी आईटी एसेट को साइट से हटाना और उसके स्थान पर किसी अन्य आईटी एसेट को स्थापित करना।
iv. वेंडर द्वारा किए गए किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
v. वहां कार्यरत किसी भी व्यक्ति को कार्यस्थल से बर्खास्त करना।
vi. किए गए किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए उसे अलग-अलग हिस्सों में बांटना।
vii. इसके अंतर्गत आने वाली किसी भी कमी को दूर करना और उसकी भरपाई करना।

3. वेंडर बैंक के उपरोक्त निदेशों का तुरंत पालन करेगा और उपर्युक्त निदेशों के अनुसार किसी भी कार्य को विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक द्वारा वेंडर या उसके प्रतिनिधियों को कार्यों के संबंध में दिए गए मौखिक निदेश, दिशानिदेश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो वेंडर द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि किए जाने चाहिए, और यदि बैंक द्वारा अगले सात दिनों के भीतर लिखित रूप में छूट नहीं दी जाती है, तो ऐसे निदेशों को संविदा के दायरे में बैंक के अनुदेश माना जाएगा।

4. वेंडर पेटेंट अधिकारों से संबंधित सभी दावों के विरुद्ध बैंक को (असीमित दायित्व के साथ) क्षतिपूर्ति करेगा, और ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा, और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस

शुल्क, क्षतिपूर्ति लागत और सभी प्रकार के शुल्कों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से इस संबंध में किए जा सकते हैं।

5. **वैंडरों की देखरेख और निर्माण कार्य पर उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति:**

वेंडर संविदा के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण प्रदान करेगा। वेंडर योग्य, अनुभवी और सक्षम इंजीनियरों को भी नियुक्त करेगा जो कार्यस्थल पर निरंतर उपस्थित रहेंगे। बैंक द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों को दिए गए किसी भी निदेश, स्पष्टीकरण, आदेश या सूचना को वेंडर को दिया गया माना जाएगा।

6. **कामगारों की बर्खास्तगी:**

बैंक के निदेश पर वेंडर संविदा पर नियुक्त किसी भी ऐसे व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त कर देगा, जो बैंक की राय में अयोग्य हो या कदाचार में लिप्त हो, और ऐसे व्यक्तियों को बैंक की अनुमति के बिना संविदा पर पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा।

7. कार्य तक एक्सेस :

बैंक और उसके संबंधित प्रतिनिधियों को संविदा स्थल और/या सेवा केंद्रों, कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक उचित समय पर निर्बाध पहुंच प्राप्त होगी जहां आईटी परिसंपत्तियां स्थित हैं या जहां से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है, और वेंडर बैंक और उसके प्रतिनिधियों को आईटी परिसंपत्तियों और कारीगरी के निरीक्षण, परीक्षण और जांच के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।

8. **डीआईटी, आरबीआई, चेन्नै के अधिकारियों को नोटिस देने का अधिकार**

चेन्नै स्थित आरबीआई के डीआईटी के अधिकारी या बैंक के किसी अन्य प्रतिनिधि को वेंडर या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या आईटी परिसंपत्तियों की अस्वीकृति के लिए नोटिस देने का अधिकार होगा और बैंक के निर्णय प्राप्त होने तक ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी आईटी परिसंपत्तियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। बैंक समय-समय पर चेन्नै स्थित आरबीआई के डीआईटी के अधिकारियों के माध्यम से कार्य की जांच करेगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से वेंडर को कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद पाई जाने वाली किसी भी खामी को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। इस खंड की सीमाओं के अधीन रहते हुए, वेंडर केवल बैंक से ही निदेश लेगा।

9. **कार्य सौंपना और उप-संविदा**

संविदा में शामिल सभी कार्य वेंडर द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और वेंडर बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग/हिस्से या उसमें किसी भी हित को उप-संविदा या हस्तांतरित नहीं करेगा, और कोई भी वचनबद्धता वेंडर को संविदा की पूर्ण और संपूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान सक्रिय पर्यवेक्षण से मुक्त नहीं करेगी।

10. **एएमसी और एफएमएस के अंतर्गत आईटी परिसंपत्तियों की सूची:**

एएमसी और एफएमएस के अंतर्गत आईटी परिसंपत्तियों की सूची खंड VIII में दी गई है । विवरण, मात्रा या सूची से किसी मद के छूट जाने में कोई त्रुटि इस संविदा को अमान्य नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और उसका मूल्य बैंक की पूर्व स्वीकृति से आनुपातिक आधार पर संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो)।

11. **अतिरिक्त सेवाओं आदि के लिए मूल्य निर्धारण:**

किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इस **संविदा** के प्रावधानों के तहत या बैंक के आदेशानुसार निष्पादित न किया गया हो। ऐसे किसी भी अतिरिक्त कार्य को यहाँ अधिकृत अतिरिक्त कार्य कहा गया है और वह निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार होगा।

i. मूल निविदा में उल्लिखित निवल दरें एएमसी के अंतर्गत आईटी परिसंपत्तियों के जोड़ या हटाव के मूल्यांकन को निर्धारित करेंगी। बैंक की पूर्व स्वीकृति से संविदा के मूल्यों को आनुपातिक आधार पर समायोजित किया जाएगा।

ii. जहां अतिरिक्त कार्य उपर्युक्त कार्यों के समान प्रकृति के न हों और/या समान परिस्थितियों में निष्पादित न किए गए हों, या जहां चूक/हटाने से शेष कार्यों को पूरा करने की शर्तें बदल जाती हों, या यदि किसी चूक या अतिरिक्त कार्य की राशि, संविदा के संपूर्ण कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष इतनी अधिक हो कि बैंक की राय में, एएमसी राशि वेंडर द्वारा उचित रूप से अनुमानित हानि या व्यय से अधिक हो, या ऐसी चूक या अतिरिक्त कार्य के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाए, तो बैंक ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जिसे वह परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त समझे।

iii. जहां अतिरिक्त कार्य का उचित मापन या मूल्यांकन संभव न हो, वहां वेंडर को चेन्नै में अति कुशल/कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए मुख्य श्रम आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि कार्य निष्पादन के बाद वाले सप्ताह के अंत तक या उससे पहले बैंक या उसके प्रतिनिधि द्वारा इसका सत्यापन कर लिया गया हो।

12. कार्य के वास्तविक रूप से पूरा होने का बाद **दोष:**

इस संविदा के परिशिष्ट (धारा VI) में उल्लिखित "रखरखाव/दोष दायित्व अवधि" के दौरान, डीआईटी, आरबीआई, चेन्नै के अधिकारी की राय में, आईटी परिसंपत्तियों या संविदा के अनुरूप न होने वाली कारीगरी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी खराबी या अन्य दोष को, डीआईटी, आरबीआई, चेन्नै के अधिकारी के लिखित निदेशों पर और उसमें निर्दिष्ट उचित समय सीमा के भीतर, वेंडर द्वारा अपने खर्च पर ठीक किया जाएगा। यदि वेंडर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक ऐसे दोषों, निपटानों या अन्य दोषों को ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप या इससे संबंधित सभी क्षति, हानि और व्यय वेंडर द्वारा वहन किए जाएंगे और ऐसी क्षति, हानि और व्यय बैंक द्वारा उससे वसूल किए जा सकते हैं या डीआईटी, आरबीआई, चेन्नै के अधिकारी द्वारा लिखित प्रमाण पत्र दिए जाने पर, वेंडर को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से या संविदा के तहत वेंडर द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी से काटे जा सकते हैं। वेंडर द्वारा किए गए ऐसे संशोधन और सुधार के बदले में, बैंक

वेंडर को देय किसी भी राशि में से संशोधन कार्य की लागत के समतुल्य राशि काट सकता है, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के डीआईटी विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यदि वसूली के लिए उपलब्ध राशि अपर्याप्त हो, तो बैंक वेंडर से शेष राशि, साथ ही इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए किसी भी व्यय की वसूली कर सकता है। यदि बैंक द्वारा नामित या अनुमोदित किसी उप-वेंडर द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया हो या आईटी परिसंपत्ति की आपूर्ति की गई हो, तो वेंडर उसी प्रकार सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कार्य स्वयं वेंडर द्वारा किया गया हो और इस संविदा के प्रावधानों के अधीन हो। बैंक द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने के बावजूद, वेंडर इस खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी बना रहेगा।

13. **व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा:**

i. वेंडर, व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं को होने वाली किसी भी चोट या क्षति तथा संपत्ति को होने वाली किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, जो वेंडर या किसी उप-ठेकेदार या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारण या चूक से उत्पन्न हो सकती है। इस खंड के अंतर्गत दायित्व में निर्माण कार्य से सटे या दूर स्थित संरचनाओं को होने वाली कोई भी क्षति, भवन तथा इस संविदा के विषयवस्तु के अंतर्गत आने वाली अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाली कोई भी क्षति भी शामिल होगी। वेंडर, बैंक को उपर्युक्त व्यक्तियों या संपत्ति को होने वाली किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाली सभी हानियों और व्ययों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूर्ति से मुक्त रखेगा तथा किसी भी प्रकार की क्षति या चोट के संबंध में किए गए किसी भी दावे, चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत हो या अन्यथा, तथा ऐसे दावों के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले किसी भी अधिनिर्णय , मुआवजे या क्षति के लिए भी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। वेंडर अपने खर्च पर, किसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी से संविदा की पूरी राशि के लिए **सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी** जारी करवाएगा और उसे बनाए रखेगा। यह पॉलिसी काम शुरू करने से पहले, वेंडर या उसके प्रतिनिधियों द्वारा संविदा के पालन के दौरान होने वाली किसी भी तृतीय-पक्ष क्षति को कवर करेगी। वेंडर संविदा के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए सभी दावों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और उसे क्षतिपूर्ति देना जारी रखेगा। पॉलिसी के तहत न्यूनतम कवरेज सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति ₹ **2 लाख** और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति की क्षति के संबंध में **₹5 लाख होगी।**

ii. ठेकेदार कानून द्वारा अपेक्षित **कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा** भी कराएगा और आरबीआई को सभी प्रकार के दावों, मांगों, हानियों, क्षतियों और लागतों (वकील और मुवक्किलों के बीच के दावों सहित), शुल्कों और व्ययों से क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति बनाए रखने का वचन देगा, जो इससे संबंधित हो सकते हैं या आरबीआई को इससे संबंधित और/या इससे जुड़े खर्चों के लिए भुगतने पड़ सकते हैं। वेंडर भी बैंक को उन सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जो बैंक पर, चाहे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत हों या किसी अन्य लागू कानून के तहत, इस संविदा की अवधि के दौरान या सामान्य कानून के तहत वेंडर या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में किए जा सकते हैं और अपने स्वयं के खर्च पर संविदा के

पूरा होने तक एक बीमा कंपनी से ऐसे जोखिमों के खिलाफ बीमा पॉलिसी कराएगा और उसे बनाए रखेगा और इस संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक के पास जमा करेगा।

iii. यदि वेंडर उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बीमा कराने में विफल रहता है, तो बैंक बीमा करा सकता है और वेंडर को देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी राशि में से भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती कर सकता है।

iv. वेंडर किसी भी ऐसी देनदारी के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत नहीं आती है, और साथ ही किसी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को हुई क्षति या इस संविदा के दोषपूर्ण निष्पादन से उत्पन्न होने वाली अन्य सभी देनदारियों के लिए भी जिम्मेदार होगा, चाहे क्षति किसी भी कारण से हुई हो।

v. वेंडर, कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, शुल्कों या खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूर्ति से मुक्त रखेगा, साथ ही उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति या मुआवजे के संबंध में भी क्षतिपूर्ति करेगा।

vi. इस प्रकार की चूक के संबंध में वेंडर के विरुद्ध बैंक के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक वेंडर को देय किसी भी राशि से बैंक द्वारा भुगतान की गई क्षति, क्षतिपूर्ति लागत, शुल्क और अन्य व्यय की राशि काटने का हकदार होगा, जो इस खंड के तहत वेंडर द्वारा देय हैं। वेंडर, इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के विरुद्ध किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान के बावजूद, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित तत्परता से कार्य करेगा। इस स्थिति में, ऐसी क्षति के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धनराशि वेंडर को दी जाएगी और वेंडर नष्ट या क्षतिग्रस्त आईटी परिसंपत्तियों या वस्तुओं के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा।

vii. इस खंड के अंतर्गत वेंडर की देयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वेंडर अपने सभी नामित उप-ठेकेदारों से भी उनके संबंधित कार्यों के लिए इस खंड के प्रावधानों के अनुसार समान बीमा पॉलिसियाँ लेने की व्यवस्था करेगा और ऐसी पॉलिसियाँ बैंक को प्रस्तुत करेगा या करवाएगा। वेंडर किसी भी नामित उप-ठेकेदार को उक्त बीमा पॉलिसियाँ प्रस्तुत किए बिना कार्यस्थल पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं देगा। यदि उप-ठेकेदार कार्यस्थल पर कार्य प्रारंभ करने से पहले ऐसी बीमा पॉलिसी नहीं लेता है, तो वेंडर उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

viii. वेंडर द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सभी बीमा पॉलिसियों (सार्वजनिक देयता और कर्मचारी क्षतिपूर्ति) में भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै का नाम और उस वेंडर का नाम अंकित होना चाहिए जिसके लिए उक्त बीमा पॉलिसियां ली गई हैं।

14. **प्रारंभ और समापन की दिनांक:**

वेंडर को **इस संविदा के परिशिष्ट** (खंड VI) में उल्लिखित "प्रारंभ दिनांक" पर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी बाद की दिनांक पर साइट में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह तुरंत कार्य प्रारंभ करेगा और नियमित

रूप से कार्य को आगे बढ़ाएगा और परिशिष्ट में उल्लिखित "पूर्णता दिनांक" को या उससे पहले उसे पूरा करेगा, हालांकि इसमें बाद में निहित समय विस्तार के प्रावधान लागू होंगे।

15. **कार्य पूरा न होने पर होने वाला नुकसान:**

यदि वेंडर संविदा के परिशिष्ट में उल्लिखित दिनांक तक या संविदा के तहत विस्तारित समय सीमा के भीतर संविदा को पूरा करने में विफल रहता है और बैंक लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में संविदा को यथोचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो वेंडर संविदा के अपूर्ण रहने की अवधि के लिए बैंक को परिशिष्ट में उल्लिखित राशि को "क्षतिपूर्ति" के रूप में भुगतान करेगा और बैंक वेंडर को देय किसी भी राशि से ऐसी क्षतिपूर्ति की कटौती कर सकता है।

16. **विलंब और समय विस्तार:**

यदि बैंक की राय में, संविदा के अंतर्गत किसी कार्य के निष्पादन में विलंब होता है:

i. अप्रत्याशित घटना या
ii. किसी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या
iii. नागरिक अशांति, स्थानीय श्रमिक संघ या हड़ताल या तालाबंदी के कारण आईटी सेवाओं में से किसी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है या
iv. वेंडर द्वारा बैंक से समय पर आवश्यक निदेश प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप, जिसके लिए उसने लिखित रूप में विशेष रूप से आवेदन किया हो या
v. अन्य कारणों से जिन्हें बैंक वेंडर के नियंत्रण से बाहर के रूप में प्रमाणित कर सकता है

ऐसे मामलों में, वेंडर तुरंत बैंक को इसकी लिखित सूचना देगा, लेकिन वेंडर फिर भी देरी को रोकने के लिए लगातार प्रयास करेगा और बैंक की संतुष्टि के लिए काम को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी यथोचित रूप से आवश्यक हो, वह सब करेगा।

किसी भी कारण से कार्य पूरा होने में देरी होने पर वेंडर को दरों में किसी भी प्रकार के संशोधन या किसी भी कारण से अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

17. **वेंडर द्वारा बैंक के निदेशों का पालन न करना:**

यदि वेंडर बैंक से लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद, जिसमें सात दिनों के भीतर अनुपालन करने का निदेश दिया गया हो, उसमें उल्लिखित अतिरिक्त विशिष्टताओं और निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो बैंक किसी भी ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, जो इसके लिए आवश्यक हो, और इससे संबंधित सभी लागतें बैंक द्वारा वेंडर से डेबिट के रूप में वसूल की जा सकती हैं या वेंडर को देय किसी भी राशि से काटी जा सकती हैं।

18. **मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा:**

जब कोई विवाद/मतभेद उत्पन्न होता है, तो बैंक और वेंडर दोनों को पहले सौहार्दपूर्ण ढंग से आपसी बातचीत के माध्यम से, सद्भावनापूर्वक जिस दिनांक से को कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत/सौहार्दपूर्ण चर्चा के लिए सूचना देता है उसके 30 दिनों के भीतर इसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए । विवाद के समाधान

के लिए बैंक एक आंतरिक विवाद समाधान समिति (डीआरसी) का गठन कर सकता है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य हों और कम से कम एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी हो जो परियोजना/खरीद से संबंधित न हो। यदि पक्ष 30 दिनों के भीतर विवाद का समाधान करने में विफल रहते हैं, तो मामले की स्थिति के आधार पर, बैंक या वेंडर को दूसरे पक्ष को मध्यस्थता शुरू करने के अपने इरादे की सूचना देनी चाहिए। इसके बाद, पक्ष आपसी सहमति से एक मध्यस्थ की नियुक्ति के माध्यम से इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, और ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियुक्त किया जा रहा व्यक्ति ऐसे विवाद पर निर्णय देने के लिए उपयुक्त रूप से योग्य और पात्र हो। मध्यस्थता की कार्यवाही केवल चेन्नै में ही होगी। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 और उसके अंतर्गत निर्मित तथा लागू नियम इस प्रकार की कार्यवाही पर लागू होंगे। बैंक और वेंडर एतद्द्वारा यह भी सहमति व्यक्त करते हैं कि इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता संविदा के तहत किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

19. **बैंक को कामगार को भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली का अधिकार है:**

यदि किसी कारणवश, बैंक को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन के प्रावधानों के तहत वेंडर द्वारा कार्य निष्पादन में नियोजित किसी श्रमिक को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना अनिवार्य हो जाता है, तो बैंक उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वेंडर से भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हकदार होगा। बैंक इस राशि या उसके किसी भाग को प्रतिभूति जमा राशि या इस संविदा के अंतर्गत या अन्यथा वेंडर द्वारा बैंक को देय किसी राशि से काटकर वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। वेंडर के लिखित अनुरोध पर और वेंडर द्वारा बैंक को ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप बैंक को देय सभी लागतों के लिए बैंक की संतुष्टि के अनुरूप पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने को छोड़कर बैंक उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

20. **अतिरिक्त आईटी परिसंपत्तियों की वापसी:**

इस संविदा के किसी भी खंड में इसके विपरीत कुछ भी होते हुए यदि संविदा के निष्पादन के लिए बैंक की सहायता से या बैंक द्वारा कोई आईटी परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है, तो संविदा की समाप्ति से पहले उसे बैंक को लौटा दिया जाएगा। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, वेंडर संविदा या लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए उत्तरदायी होने के अतिरिक्त, बैंक को उन सभी धन, लाभों या मुनाफे के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारण प्राप्त हुए हैं या सामान्य रूप से प्राप्त होते।

21. कार्य करते समय वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो। वेंडर कृपया ध्यान दें कि कार्य स्थल की उपलब्धता विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी और उन्हें एक ही बार में सभी स्थान उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। उपलब्ध स्थान के अनुसार कार्य अलग-अलग स्थानों पर किया जाएगा।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हूं/हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान: **निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)**

दिनांक: **निविदाकर्ता का नाम और पता**

खंड VI - परिशिष्ट जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है

क्रम सं	यहां इससे पूर्व संदर्भित शर्तों के संबंध में संविदा के खंडों का संदर्भ	बैंक की शर्तें
1.	संविदा अवधि	आरंभ में : 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक (यदि वेंडर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं बैंक द्वारा संतोषजनक पाई जाती हैं और समान नियमों और शर्तों पर पारस्परिक सहमति के बाद इसे अधिकतम दो और वर्षों के लिए (एक बार में एक वर्ष के लिए) वार्षिक रूप से बढ़ाया जा सकता है।)
2.	कार्य शुरू करने की दिनांक	1 अप्रैल 2026
3.	कार्य पूरा होने की दिनांक	31 मार्च 2027
4.	रखरखाव/दोष दायित्व अवधि:	कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिन
5.	दंड की दर	पीसी, प्रिंटर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए प्रतिदिन ₹300/- (प्रति शिकायत अधिकतम ₹3000/-) लैपटॉप/नोटबुक के लिए ₹500/- प्रति आइटम (प्रति शिकायत अधिकतम ₹ 5000/-)
6.	ईएमडी	₹1,00,000/-
7.	प्रतिभूति जमाराशि/कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी	संविदा मूल्य का 5%
8.	भुगतान प्रमाणपत्रों का भुगतान करने की अवधि	एएमसी और एफएमएस शुल्क: त्रैमासिक आधार पर (बिल प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर)
9.	कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी जारी किया जाना, यदि कोई हो तो।	रखरखाव या दोष दायित्व अवधि की समाप्ति पर।

10.	परिसमापन हर्जाना	यदि वेंडर द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया जाता है, तो बैंक द्वारा किसी तीसरे पक्ष से कार्य पूरा करवाने के लिए किए गए सभी वास्तविक खर्च।
11.	अपील प्राधिकारी	क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी अधिकारी, आरबीआई, चेन्नै

खंड VII - कार्यों का विस्तृत विवरण

एएमसी और एफएमएस के दायरे में खंड VIII में सूचीबद्ध सभी मदों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स शामिल हैं। खंड VIII में सूचीबद्ध सॉफ्टवेयर के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए।

कार्यक्षेत्र का विस्तृत विवरण

1.एएमसी और एफएमएस के दायरे में खंड VIII में सूचीबद्ध सभी मदों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स शामिल हैं, जो खंड IX में निर्दिष्ट बैंक के स्थानों/संपत्तियों में स्थित हैं। खंड VIII में सूचीबद्ध सॉफ्टवेयर के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए। एएमसी और एफएमएस के दायरे में मदों को जोड़ने की स्थिति में रखरखाव वेंडर द्वारा किया जाएगा जिसके लिए वेंडर आनुपातिक आधार पर भुगतान का हकदार होगा। कार्यालय में पुरानी मशीनों को हटाने की स्थिति में उन्हें संविदा से हटा दिया जाएगा और दरों में तदनुसार आनुपातिक आधार पर कमी की जाएगी। कोट किए गए मूल्य नीचे दिए गए कार्यक्षेत्र में निर्दिष्ट सभी लागतों और सभी देय करों सहित हैं।

2.बैंक के पास विभिन्न ब्रांड/मॉडल के कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, प्रिंटर, स्कैनर आदि का एक विविध सेट है, जैसा कि खंड VIII (आईटी एसेट्स) में सूचीबद्ध है, और ये चेन्नै में बैंक के विभिन्न स्थानों/संपत्तियों पर खंड IX के अनुसार रखे गए हैं । बैंक खंड VIII में दिए गए आईटी एसेट्स को जोड़ने या हटाने और खंड IX में दिए गए स्थानों को शामिल करने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ये आईटी एसेट्स एएमसी और एफएमएस संविदा के अंतर्गत आएंगे। एएमसी में निवारक रखरखाव, सुधारात्मक रखरखाव, पुर्जों का प्रतिस्थापन, घटकों का स्थानांतरण, साथ ही इस संविदा दस्तावेज में उल्लिखित उन आईटी एसेट्स के लिए सेवाएं शामिल होंगी जो वारंटी के अंतर्गत नहीं हैं।

3.इसके अलावा, एफएमएस भाग में वारंटी के अंतर्गत आने वाली IT परिसंपत्तियां भी शामिल होंगी। वारंटी के अंतर्गत आने वाले सिस्टम जो एएमसी के दायरे में नहीं आते हैं उनकी स्थिति में, रेजिडेंट इंजीनियर वारंटी की शर्तों का उल्लंघन किए बिना समस्या की पहचान करेंगे और उसका समाधान करेंगे। यदि आवश्यक हो, तो वे संबंधित वेंडर/ओईएम को सेवा संबंधी शिकायत भेजेंगे, सीरियल नंबर/इन्वेंटरी नंबर नोट करेंगे, आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे और शिकायत विवरण के बारे में डीआईटी, आरबीआई, चेन्नै के अधिकारियों को सूचित करेंगे।

4.निवारक रखरखाव के दायरे में हार्डवेयर से संबंधित पहलू शामिल होंगे, जैसे कि वारंटी के अंतर्गत आने वाली सभी आईटी संपत्तियों सहित एचडीडी/एसएसडी, प्रोसेसर, पावर सप्लाई (एसएमपीएस) आदि की स्वास्थ्य जांच। निवारक रखरखाव गतिविधि में पैच/सर्विस पैक का अद्यतन, सिस्टम डायग्नोस्टिक परीक्षण करना और वारंटी के अंतर्गत आने वाली सभी आईटी संपत्तियों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करना आदि शामिल होगा। एएमसी और एफएमएस अवधि के दौरान, वेंडर सभी आईटी संपत्तियों के लिए **प्रति तिमाही कम से**

कम एक निवारक रखरखाव प्रदान करेगा। इसके अलावा, वेंडर बैंक के अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार या **महीने में एक बार** सभी आईटी हार्डवेयर की सफाई के लिए ड्राई वैक्यूम एयर ब्रश और मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करेगा।

5.वेंडर एएमसी और एफएमएस के अंतर्गत सभी आईटी संपत्तियों का सुधारात्मक रखरखाव करेगा। इसमें समस्या की पहचान और उसका निवारण शामिल होगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टालेशन/ पुनः इंस्टालेशन, प्रिंटर का सेटअप/कॉन्फ़िगरेशन, कंपनी द्वारा विकसित या तृतीय पक्ष द्वारा विकसित एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर की पुनः इंस्टालेशन/इंस्टालेशन , प्रिंटर ड्राइवर, एंटीवायरस एजेंट आदि शामिल हैं।

6.वेंडर एएमसी के अंतर्गत आने वाली सभी आईटी संपत्तियों के किसी भी घिसे-पिटे या दोषपूर्ण पुर्जे/घटक को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के बदल देगा। प्रिंटर के मामले में, **फ्यूज़र असेंबली, प्रिंटर कार्ट्रिज, टोनर कार्ट्रिज और प्रिंटर हेड को छोड़कर उपकरण के सभी घटक इस एएमसी संविदा के अंतर्गत आएंगे** और इसलिए प्रतिस्थापन योग्य श्रेणी में आएंगे। ऊपर बताए गए उपभोज्य पुर्जों को छोड़कर, अन्य सभी पुर्जे एएमसी में शामिल होंगे और वेंडर द्वारा वहन किए जाएंगे। ऊपर बताए गए उपभोज्य पुर्जों को, यदि आवश्यक हो, तो बैंक को अतिरिक्त लागत पर, वेंडर द्वारा उचित बिल प्रस्तुत करने पर वास्तविक लागत के अनुसार बदला जाएगा।

7.एएमसी के तहत किसी भी पुर्जे या पूरे सिस्टम को बदलने की स्थिति में, वेंडर को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उसी ब्रांड/मॉडल का प्रतिस्थापन प्रदान करना होगा। यदि पुर्जों/कंपोनेंट्स की अनुपलब्धता के कारण वेंडर किसी उपकरण का रखरखाव करने में असमर्थ है तो वेंडर को उपकरण को चालू करने के लिए अपने खर्च और जिम्मेदारी पर कंपोनेंट/पुर्जे को अपग्रेड करना होगा; अन्यथा, वेंडर को उपरोक्त कंपोनेंट्स की मरम्मत या प्रतिस्थापन होने तक अपने खर्च और जिम्मेदारी पर समान या उच्चतर संगत कॉन्फ़िगरेशन वाले वैकल्पिक/प्रतिस्थापन सिस्टम प्रदान करने होंगे।

8.वेंडर मरम्मत कार्य करने या बैंक परिसर के भीतर सिस्टम को स्थानांतरित करने, बैंक से वेंडर के स्थान पर और इसके विपरीत, या बैंक के एक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानांतरित करने के लिए सभी आईटी संपत्तियों/पुर्जों (वार्षिक रखरखाव शुल्क और वारंटी दोनों के अंतर्गत) को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करेगा। आवश्यकता पड़ने पर वेंडर ऑपरेटिंग सिस्टम/सॉफ्टवेयर/पैकेज को इंस्टाल/पुनः इंस्टाल और कॉन्फ़िगर करेगा।
वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि हार्डवेयर, सहायक उपकरण, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ़्टवेयर (यदि कोई हो) में खराबी की समस्या बैंक द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के चौबीस घंटे के भीतर ठीक कर दी जाए; ऐसा न करने पर वेंडर अपने खर्च पर व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर/ सॉफ़्टवेयर उपलब्ध कराएगा।
वेंडर को उपकरण की खराबी की प्रत्येक घटना, खराबी शुरू होने की दिनांक/समय, मरम्मत/रखरखाव कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने का समय, उपकरण पर किए गए मरम्मत कार्य की प्रकृति, खराबी का विवरण और

उसका कारण दर्ज करना होगा। वारंटी के अंतर्गत आने वाले आईटी उपकरणों के लिए निवारक रखरखाव गतिविधि और कॉल लॉग का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।

9.वेंडर को निम्नलिखित अभिलेखों का रखरखाव करना होगा:

i. इन्वेंटरी रजिस्टर - बैंक में एएमसी और वारंटी के अंतर्गत मौजूद सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विवरण (इन्वेंटरी नंबर, उपयोगकर्ता नाम, विभाग का नाम, लागत, निर्माता, मॉडल आदि)। वेंडर को निपटान के लिए चिह्नित आईटी संपत्तियों का रिकॉर्ड भी रखना होगा।
ii. कॉल रजिस्टर - शिकायतों का विवरण, जैसे शिकायत का प्रकार, समाधान का समय, कार्य समाप्ति की स्थिति, कार्य में रुकावट आदि।
iii. डाउनटाइम रजिस्टर - किसी परिसंपत्ति के डाउनटाइम की घटना का विवरण, कारण, डाउनटाइम की अवधि, समाधान के लिए उठाए गए कदम आदि।
iv. निवारक रखरखाव रिकॉर्ड - तिमाही के दौरान किए गए निवारक रखरखाव का विवरण।
v. सफाई रजिस्टर - इसमें महीने भर की गई सफाई गतिविधियों का विवरण होता है।

10.**डेटा मिटाना** - बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि जब भी किसी पीसी/लैपटॉप या किसी भी स्टोरेज डिवाइस को निपटान या बाद में निपटान के लिए स्टोररूम में स्थानांतरित किया जा रहा हो, तो एएमसी/एफएमएस वेंडर से एक प्रमाणपत्र, जिस पर उस पीसी/लैपटॉप या स्टोरेज डिवाइस के उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर हों, यह प्रमाणित करते हुए कि डिवाइस में मौजूद डेटा को मौजूदा दिशानिदेशों के अनुसार फॉर्मेट कर दिया गया है/पूरी तरह से हटा दिया गया है, डीआईटी को प्रस्तुत किया जाए। बोलीदाता **लगभग 250 डेस्कटॉप पीसी/लैपटॉप के लिए अपने खर्च पर मानक डेटा मिटाने वाला सॉफ्टवेयर** खरीदेगा और उसका उपयोग करेगा, जो वैश्विक डेटा मिटाने/वाइप करने के मानक के अनुरूप होना चाहिए और डेटा मिटाने की पुष्टि के लिए नष्ट किए जाने का प्रमाणपत्र जारी करेगा। इसके अलावा, बोलीदाता केवल ऐसे सॉफ्टवेयर के लाइसेंस प्राप्त संस्करण का ही उपयोग करेगा। एएमसी के तहत किसी भी कंप्यूटर सिस्टम/लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश होने की स्थिति में, वेंडर डेटा की निःशुल्क रिकवरी के लिए जिम्मेदार होगा। प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाले दोषपूर्ण हार्ड डिस्क वेंडर को नहीं सौंपे जाएंगे या उन्हें कुचलने/क्षतिग्रस्त करने के बाद ही सौंपे जाएंगे।

11. वेंडर, डीआईटी कक्ष के अधिकारियों के निर्देशानुसार, एएमसी और वारंटी के अंतर्गत आने वाली आईटी संपत्तियों में कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन करने के लिए आउटलुक को कॉन्फ़िगर करेगा, विभिन्न एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर और अन्य एप्लिकेशन इंस्टॉल करेगा, और यह सब नि:शुल्क किया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ़्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन एक्सेस करने में आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए वेंडर द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी। वेंडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण और डिस्प्ले (टीवी) का प्रबंधन करेगा, और विभागों के अनुरोध पर डिस्प्ले मॉनिटर पर सामग्री को अपडेट करेगा। इसके अलावा, वेंडर बैंक को ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। बैंक के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की स्वीकृति से, वेंडर को बैंक के आंतरिक सॉफ़्टवेयर पैकेजों के सुचारू संचालन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय

कार्यालय/डेटा सेंटर, आईडीआरबीटी के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एप्लिकेशन के वेंडर के साथ सीधे समन्वय करना होगा। वेंडर को नेटवर्क, फ़ायरवॉल, एप्लिकेशन, वीसी आदि जैसे अन्य वेंडरों की तकनीकी टीम के साथ भी समन्वय करना होगा और समस्याओं के समाधान में सहायता करनी होगी।

12.वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि मरम्मत और रखरखाव सेवाएं/उत्पाद किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के किसी पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य या अन्य संपत्ति अधिकार का उल्लंघन न करें। वेंडर इस वारंटी के किसी भी उल्लंघन या कथित उल्लंघन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, मांग, कार्रवाई या कार्यवाही से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

13.वेंडर को कंप्यूटर हार्डवेयर, आईटी पेरिफेरल्स और डेस्कटॉप (02 नग), प्रिंटर (02 नग), स्कैनर (02 नग), माउस (05 नग), कीबोर्ड (05 नग), हार्ड डिस्क (02 नग), पोर्टेबल डीवीडी/सीडी-रोम और अन्य स्पेयर पार्ट्स (टूलकिट और कपड़े) जैसे घटकों का ऑनसाइट इन्वेंट्री बनाए रखना होगा।

14.**रेजिडेंट इंजीनियरों (आरई) की तैनाती, उनकी व्यावसायिक योग्यताएं और अन्य आवश्यकताएं:**

(i) वेंडर को दस (10) आरई की एक टीम की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें एक (01) टीम लीडर (टीएलर), आठ (08) इंजीनियर और एक (01) हेल्पर शामिल हों। आरई की योग्यता, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ नीचे दी गई हैं।

टीम लीडर (टीएल):

टीएल के पास कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बी.टेक/एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों/सरकारी निकायों/पीएसयू/वित्तीय संस्थानों आदि में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रखरखाव/सेवा प्रदान करने में न्यूनतम पांच (05) वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें फील्ड में टीम हेड के रूप में न्यूनतम एक (01) वर्ष का अनुभव शामिल हो। उनके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

i. उन्हें सर्वरों का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए।
ii. वरिष्ठ अधिकारियों के फोन कॉल का जवाब अनिवार्य रूप से टीएल द्वारा दिया जाना चाहिए,और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही टीम के सबसे वरिष्ठ इंजीनियर द्वारा दिया जाना चाहिए।
iii. सभी प्रतिनियुक्त आरई की समयबद्धता और उपस्थिति की निगरानी करना।
iv. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वयं सहित किसी भी प्रतिनिधि की छुट्टी/अनुपस्थिति की स्थिति में एक बैकअप इंजीनियर को तैनात किया जाए।
v. त्रैमासिक निवारक रखरखाव का संचालन/पर्यवेक्षण करना और डीआईटी कक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
vi. अन्य आरई के बीच उचित ज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करना।
vii. सभी तकनीकी समस्याओं के निवारण की निगरानी करना। तकनीकी सहायक (टी.एल.) आरबीआई सपोर्ट टीम और वेंडर के साथ संचार का मुख्य केंद्र होगा।

viii. कॉल रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, इंजीनियर की उपस्थिति, निवारक रखरखाव रिपोर्ट, मासिक सफाई रिपोर्ट आदि जैसी विभिन्न रिपोर्टों को समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित करना।

ix. टीएल को टीम के पिछले दिन के कार्यों के बारे में प्रतिदिन डीआईटी कक्ष को जानकारी देनी चाहिए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार, कार्य और भुगतान के प्रयोजन के लिए टीएल को अति कुशल माना जाएगा।

इंजीनियर:

सभी इंजीनियरों के पास कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक/डिप्लोमा/डिग्री की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रखरखाव/सेवा प्रदान करने में कम से कम तीन (03) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आठ (08) इंजीनियरों में से दो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज्ञान और कार्य अनुभव होना चाहिए और अन्य मामलों की तरह ही वास्तविक समय में नेटवर्किंग वातावरण में कम से कम तीन (03) वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इंजीनियर परिसंपत्तियों की आंतरिक सफाई करेंगे। इंजीनियरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार भूमिका और वेतन प्रयोजन के लिए कुशल माना जाएगा।

सहायक:

सहायक के पास किसी भी स्ट्रीम में स्नातक/डिप्लोमा होना अनिवार्य है। बैंक में स्थित सभी आईटी उपकरणों की बाहरी सफाई की जिम्मेदारी उनकी होगी। सफाई के लिए आवश्यक सभी उपकरण और रसायन वेंडर द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। आवश्यकतानुसार, सहायक को आईटी उपकरणों को स्थानांतरित करने का कार्य भी करना होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में दी गई परिभाषा के अनुसार, सहायक को कार्य और वेतन के उद्देश्य से अर्ध-कुशल माना जाएगा।

(ii) सभी रेजिडेंट इंजीनियरों (आर) के पास अच्छी संचार क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण और तकनीकी समझ होनी चाहिए। संविदा प्रदान करते समय, रेजिडेंट इंजीनियरों (आर) के बायोडेटा, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और फोटोग्राफ डीआईटी कक्ष को जमा किए जाने चाहिए। वेंडर को नियमित रेजिडेंट इंजीनियरों (आरई) की अनुपस्थिति में तैनात किए जाने वाले बैकअप कर्मियों को प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है। समय-समय पर प्रतिनियुक्त किए जाने वाले बैकअप इंजीनियरों पर भी सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। वेंडर को रेजिडेंट इंजीनियरों (आरई) को बार-बार स्थानांतरित करना/बदलना नहीं चाहिए और उन्हें कम से कम एक (01) वर्ष की अवधि के लिए तैनात करना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों में, वेंडर को रेजिडेंट इंजीनियर (आरई) के परिवर्तन के बारे में बैंक को लिखित रूप में पहले सूचित करना होगा।

(iii) इस दस्तावेज़ में उल्लिखित सेवाएँ प्रदान करने के लिए, रेजिडेंट इंजीनियर (आरई) उपयुक्त रूप से कुशल और प्रशिक्षित होने चाहिए, और उनके पास CCNA, MCSE या अनिवार्य योग्यताओं के अलावा अन्य कौशल प्रमाणपत्र होने चाहिए। नियमित रूप से तैनात किए गए आरई, या नियमित आरई के

स्थान पर तैनात किए गए बैकअप इंजीनियर, वेंडर के नियमित पे रोल पर और निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप होने चाहिए।

(iv) बैंक के विभिन्न स्थानों पर तैनात आरई को बैंक के संहिता और नैतिकता का पालन करना होगा और सुरक्षा कर्मियों, पुलिस या इस उद्देश्य के लिए तैनात अन्य एजेंसियों द्वारा उनकी जांच की जाएगी। वेंडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तैनाती से पहले पुलिस अधिकारियों से उनके चरित्र और पृष्ठभूमि की पुष्टि कर ली जाए।

(v) तैनाती से पहले बैंक द्वारा आरई का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि बैंक वेंडर द्वारा उपलब्ध कराए गए आरई से संतुष्ट नहीं होता है तो आरबीआई को आरई बदलने का अधिकार होगा। वेंडर को चेन्नै स्थित डीआईटी कक्ष से परामर्श करके दो (02) सप्ताह के भीतर नए आरई की व्यवस्था करनी होगी।

(vi) कार्यदिवसों और कार्यदिवस शनिवार (माह के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) के कार्य समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 6:30 बजे तक रहेंगे। इंजीनियर कार्यालय समय के दौरान सभी कार्यदिवसों में डीआईटी को रिपोर्ट करेंगे। हालांकि, बैंक को खंड - IX में निर्दिष्ट स्थानों और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य स्थानों पर कार्य समय से पहले या बाद में तथा गैर-कार्यदिवसों में भी इंजीनियरों की सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए बैंक को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इंजीनियरों के सभी यात्रा व्यय वेंडर द्वारा वहन किए जाएंगे, जिसमें खंड - IX में निर्दिष्ट स्थानों की यात्रा भी शामिल है । इंजीनियर वेंडरों द्वारा इंटरनेट कनेक्शन वाले मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका खर्च वेंडर द्वारा वहन किया जाएगा।

(vii) बैंक परिसर में प्रवेश करते समय सभी रेजिडेंट कर्मचारियों (आरई) को बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा और उनके पास कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र होना आवश्यक है। बैंक के पास अपने परिसर में तैनात आरई की स्वतंत्र रूप से पृष्ठभूमि जांच करने का अधिकार सुरक्षित है।

(viii) वेंडर बैंक में तैनात किए गए रेजिडेंट कर्मचारियों (आरई) को खंड 5 के अनुच्छेद 13 में उल्लिखित बीमा कवर प्रदान करेगा । संविदा के तहत बैंक के लिए काम करते समय यदि रेजिडेंट कर्मचारियों (आरई) को उनकी जान, शरीर या संपत्ति को कोई हानि होती है, तो वे या उनके कानूनी उत्तराधिकारी बैंक से किसी भी प्रकार के बीमा/नौकरी लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे।

(ix) बैंक की अपनी सूचना सुरक्षा नीति है जिसका वेंडर और/या उसके प्रतिनिधि को सख्ती से पालन करना होगा अन्यथा बैंक उचित कार्रवाई करेगा जिसमें काली सूची में डालना /कानूनी कार्यवाही करना शामिल है।

15.वेंडर और साथ ही साथ आरई को महिलाओं का लैंगिंक उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

16.वेंडर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938, संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 आदि तथा देश में प्रचलित अन्य श्रम कानूनों

के अंतर्गत उत्पन्न सभी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। वेंडर द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन के कारण उत्पन्न किसी भी दायित्व की स्थिति में, बैंक को वेंडर के लंबित बिलों से समायोजन के माध्यम से या उपलब्ध कानूनी साधनों के माध्यम से, इसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई करने का अधिकार होगा।

17.बैंक को वेंडर की किसी भी चूक या गलती के कारण हुए नुकसान की भरपाई का दावा वेंडर से करने का अधिकार सुरक्षित है। यह नुकसान उपकरण/परिसंपत्ति को हो सकता है, चाहे वह एएमसी और एफएमएस के अंतर्गत कवर हो या न हो।

18.यदि वेंडर करार के तहत अपने किसी भी दायित्व/कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है तो बैंक को करार समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

19.यह संविदा अहस्तांतरणीय है और किसी भी परिस्थिति में वेंडर को बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति/पक्ष के साथ उप-संविदा करने की अनुमति नहीं होगी।

20.चयनित बोलीदाता को एएमसी और एफएमएस करार पर हस्ताक्षर करना होगा और सरकारी मानदंडों के अनुसार लागू स्टाम्प शुल्क चयनित बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। एएमसी और एफएमएस करार पर बैंक द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से सात दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि बोलीदाता संविदा दिए जाने के बाद उसे स्वीकार नहीं कर पाता है या संविदा स्वीकार करने के बाद कार्य करने में असमर्थ रहता है तो बोलीदाता बैंक को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें कार्य पूरा कराने के लिए बैंक द्वारा किए गए खर्च भी शामिल हैं। संविदा से मुकर जाने पर बोलीदाता स्वतः ही बैंक के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए अयोग्य हो जाएगा और ईएमडी/प्रतिभूति जमाराशि भी जब्त कर ली जाएगी।

21.वेंडर एएमसी के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक आईटी संपत्ति के लिए 99% अपटाइम सुनिश्चित करेगा।

22.यदि एएमसी के अंतर्गत आईटी एसेट की मरम्मत नहीं की जाती है या शिकायत दर्ज होने के चौबीस घंटे के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो पीसी और आईटी पेरिफेरल्स के लिए ₹300/- और लैपटॉप/नोटबुक/आईपैड के लिए ₹500/- का जुर्माना वेंडर पर लगाया जाएगा, प्रति शिकायत अधिकतम जुर्माना पीसी और आईटी पेरिफेरल्स के लिए ₹3000/- और लैपटॉप/नोटबुक/आईपैड के लिए ₹5000/- होगा। यह जुर्माना एएमसी और एफएमएस के त्रैमासिक शुल्क से काटा जाएगा। यदि एएमसी के अंतर्गत आईटी एसेट की मरम्मत नहीं की जाती है या शिकायत दर्ज होने के चौबीस घंटे के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो वेंडर को मरम्मत होने तक उसी या उच्च कॉन्फ़िगरेशन वाला वैकल्पिक एसेट उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा, बैंक के पास ऐसे दोषपूर्ण आईटी एसेट की मरम्मत किसी तृतीय पक्ष वेंडर से कराने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसी मरम्मत पर खर्च की गई राशि को एएमसी और एफएमएस के त्रैमासिक शुल्क से काटा जाएगा।

23.यदि वेंडर संविदा के अनुसार अपने किसी भी दायित्व/कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है तो बैंक 30 दिन का नोटिस देने के बाद संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अतिरिक्त, यदि वेंडर को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संविदा से हटना पड़ता है तो उसे तीन महीने का नोटिस देना होगा।

24.वेंडर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बैंक द्वारा समय-समय पर पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों/शिकायतों का उत्तर दे। वेंडर द्वारा टालमटोल वाला रवैया अपनाने पर संविदा को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है/वेंडर के साथ आगे की संविदाओं का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
इस करार से संबंधित या इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मुकदमे, कार्रवाइयां या कार्यवाही केवल चेन्नै स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगी।

25.बैंक को एएमसी और एफएमएस देने से पहले बुनियादी ढांचे का आकलन करने के लिए वेंडर के कार्य स्थल का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और बैंक वेंडर के बुनियादी ढांचे से असंतुष्ट होने या किसी अन्य कारण से निविदा को अस्वीकार कर सकता है।

26.यह कार्यालय सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जो बोलियां किसी भी रूप में अधूरी या अपूर्ण हों या निर्धारित शर्तों को पूरा न करती हों, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। निविदाकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की पैरवी करने पर उनकी बोलियां अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हूं/हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त विस्तृत कार्यक्षेत्र को पढ़ और समझ लिया है ।

स्थान: **निविदाकर्ता के हस्ताक्षर**

दिनांक: **निविदाकर्ता का नाम और पता (मुहर सहित)**

खंड VIII - एएमसी और एफएमएस के अंतर्गत आने वाली आईटी परिसंपत्तियों की सूची

1. **एएमसी और एफएमएस के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर हार्डवेयर आइटम/आईटी पेरिफेरल्स का विवरण (01.04.2026 तक अनंतिम परिसंपत्ति संख्या):**

आईटी संपत्तियाँ	संख्या एएमसी के अंतर्गत परिसंपत्तियां	वारंटी के अंतर्गत परिसंपत्तियों की संख्या	परिसंपत्तियों की कुल संख्या
डेस्कटॉप पीसी	260	112	**372**
डेस्कटॉप-एआईओ (ऑल इन वन)	71	161	**232**
आईपैड	1	9	**10**
लैपटॉप	7	267	**274**
प्रिंटर-एआईओ	93	154	**247**
स्कैनर	34	16	**50**
डेल पॉवरएज आर710 (सर्वर)	3	-	**3**
डेल पॉवर वॉल्ट एमडी 32000आई (स्टोरेज)	1	-	**1**
एक्सेस कार्ड / आईडी कार्ड प्रिंटर	-	2	**2**
टैबलेट	-	1	**1**
प्रोजेक्टर	-	1	**1**
कुल योग	**470**	**723**	**1193**

2. **परिसंपत्ति मॉडल:**

डेस्कटॉप और एआईओ पीसी मॉडल	प्रिंटर और स्कैनर मॉडल
डेल ऑप्टीप्लेक्स 7010 प्लस एसएफएफ	एचपी लेजरजेट प्रो एमएफपी 4104fdw
डेल ऑप्टीप्लेक्स प्लस 7420	एचपी ऑफिसजेट प्रो 9130

डेल ऑप्टीप्लेक्स 5000 एसएफएफ	एचपी लेजरजेट प्रो एमएफपी एम329डीडब्ल्यू
डेल ऑप्टीप्लेक्स 5090 एसएफएफ	एचपी स्कैनजेट एंटरप्राइज फ्लो एन7000 एसएनडब्ल्यू1
एचपी प्रोडेस्क 400 जी7 एसएफएफ	एचपी ऑफिसजेट प्रो 9020
एचपी प्रोवन 440 जी9	एचपी लेजरजेट प्रो एमएफपी 4303डीडब्ल्यू
एचपी एलीटवन 840 जी9	एचपी लेजरजेट प्रो एमएफपी एम479डीडब्ल्यू
डेल ऑप्टीप्लेक्स 7410	कैनन डीआर-सी240
डेल ऑप्टीप्लेक्स प्लस 7410	एप्सन इकोटैंक L15150 A3 इंक टैंक
डेल ऑप्टीप्लेक्स 5400	एचपी इंक टैंक वायरलेस 419
एचपी एलीटवन 800 जी5	कैनन मैक्सिफाई एमबी5170
एचपी एलीटवन 800 जी8 24	कैनन MF244DW
डेल ऑप्टीप्लेक्स 7000 एसएफएफ	एचपी ऑफिसजेट प्रो 9010
एप्पल आईमैक	एचपी लेजरजेट प्रो एमएफपी एम479डीडब्ल्यू
डेल ऑप्टीप्लेक्स 7780	पाणिनी 100 डीपीएम 2 पॉकेट 50 डॉक फीडर एजीपी4 के साथ
डेल ऑप्टीप्लेक्स 5080 एसएफएफ	पाणिनी सीटीएस स्कैनर
एचपी प्रोडेस्क 400 जी7 एसएफएफ	एप्सन FX-890
डेल ऑप्टीप्लेक्स 5070 एसएफएफ	एचपी लेजरजेट प्रो एमएफपी एम226डीडब्ल्यू
डेल ऑप्टीप्लेक्स 7470	एचपी ऑफिसजेट प्रो 8730
एचपी प्रोडेस्क 600 जी5 एसएफएफ	लिपि एचआईडी फारगो डीटीसी 1500 डुअल साइड प्रिंटर
डेल ऑप्टीप्लेक्स 5070 एसएफएफ	-
एचपी प्रोडेस्क 600 जी4 एसएफएफ	-
डेल ऑप्टीप्लेक्स 5060 एसएफएफ	-
एचपी प्रोडेस्क 600 जी3	-

एचपी एलीटडेस्क 800 जी1	-
लेनोवो थिंकसेंटर एम90ए जेन 5	-
डेल प्रो 24 ऑल-इन-वन	-
डेल प्रो 24 ऑल-इन-वन प्लस	-
एचपी एलीटवन 800 जी4	-
एसर वेरिटन Z6694G	-

3. **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विवरण:**

(i) एडोब रीडर
(ii) सिस्को एनी कनेक्ट सिक्योर मोबिलिटी क्लाइंट
(iii) परिधीय ड्राइवर/सॉफ्टवेयर
(iv) माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर (एससीसीएम क्लाइंट)
(v) एंटरप्राइज वॉल्ट सॉफ्टवेयर
(vi) आउटलुक सहित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365
(vii) ट्रेंड माइक्रो एपेक्स सिक्योरिटी
(viii) हिंदी इंडिक -2
(ix) माइक्रोसॉफ्ट हिंदी
(x) ई-टोकन पीकेआई क्लाइंट
(xi) गूगल क्रोम
(xii) विंडोज 7 और उससे ऊपर के संस्करण
(xiii) दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्क्रीन रीडर के रूप में JAWS सॉफ्टवेयर
(xiv) EKAMEV portal
(xv) माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून
(xvi) विंडोज हेलो कार्यान्वयन
(xvii) अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम/सर्वर संबंधी सॉफ़्टवेयर

4. **ऑपरेटिंग सिस्टम/एप्लिकेशन पैकेज के लिए तकनीकी सहायता:**

(i) विंडोज सर्वर 2008 और उससे ऊपर
(ii) विंडोज 7 और उससे ऊपर के संस्करण
(iii) OSS पैकेज (ओरेकल आधारित)
(iv) macOS और iPadOS
(v) बैंक में चल रहे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम/एप्लिकेशन

टिप्पणी:

1. बैंक को उपरोक्त सूची में किसी भी आईटी परिसंपत्ति को जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित है।
2. बोली लगाने वाले इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए बैंक के कार्यालय में आ सकते हैं।

खंड IX - बैंक की उन परिसंपत्तियों की सूची जहां एएमसी और एफएमएस स्थित हैं सेवाएं प्रदान की जाएंगी

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य कार्यालय, संख्या 16, राजाजी साल्लै, फोर्ट ग्लासिस, चेन्नै - 600001
2. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, अन्ना नगर
3. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, बेसंत नगर
4. भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी क्वार्टर, चूलैमेडु रोड
5. भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी क्वार्टर, केके नगर
6. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कोयम्बेडु
7. भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी क्वार्टर, पीएच रोड
8. आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, मुख्य कार्यालय परिसर, राजाजी साल्लै, फोर्ट ग्लासिस, चेन्नै - 600001

टिप्पणी :

क. बैंक के पास उपरोक्त सूची में साइटों को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

ख. रेजिडेंट इंजीनियरों (आरई) को बैंक के अधिकारियों द्वारा निदेश दिए जाने पर यथावश्यक ऊपर बताए गए विभिन्न स्थानों पर या आवश्यकतानुसार किसी अन्य स्थान पर भी सेवा प्रदान करनी होगी।

खंड X - एएमसी और एफएमएस संविदा की गणना के लिए इंडेक्सेशन फार्मूला

संविदा के पहले वर्ष के बाद के वर्षों के लिए एएमसी और एफएमएस की दरें इंडेक्सेशन के आधार पर परिकलित की जाएंगी। इस प्रकार के इंडेक्सेशन के लिए प्रयुक्त फार्मूला निम्नलिखित होगा:

क. **एएमसी/निष्क्रिय घटकों/श्रम शुल्क के लिए** इंडेक्सेशन फार्मूला

$$A_C = A_P [15 + \{45 \times (WPI_C / WPI_P)\} + \{40 \times (CPI_C / CPI_P)\}] \times 1/100$$

जहां,

एसी = चालू/नए वर्ष के लिए संविदा राशि;

एपी = पिछले वर्ष के लिए संविदा राशि जो समाप्त होने वाली है;

WPIC = चालू/नए वर्ष के संविदा की प्रारंभ दिनांक से छह महीने पहले का विद्युत उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक;

WPIP = संविदा की शुरुआत की दिनांक से छह महीने पहले के विद्युत उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक, जो पिछले वर्ष के अंत की दिनांक के लिए लागू होता है;

CPIC = चालू/नए वर्ष के लिए संविदा की शुरुआत की दिनांक से छह महीने पहले शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक;

सीपीआईपी = पिछले वर्ष के संविदा की शुरुआत की दिनांक से छह महीने पहले के शहरी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक;

ख. **रेजिडेंट इंजीनियर (सुविधा प्रबंधन सेवाएँ) के लिए** इंडेक्सेशन **फार्मूला**

$$A_C = A_P [15 + \{85 \times (CPI_C / CPI_P)\}] \times 1/100$$

जहां,

AC = चालू/नए वर्ष के लिए सेवाओं की प्रति व्यक्ति प्रति माह दर;

एपी = पिछले वर्ष के अंत तक की सेवाओं के लिए मानव-माह दर;

CPIc = चालू वर्ष के संविदा की शुरुआत की दिनांक से छह महीने पहले शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

CPIp = पिछले वर्ष के संविदा की शुरुआत की दिनांक से छह महीने पहले के शहरी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सूचकांकों के संदर्भ स्रोत निम्नलिखित हैं:

डब्ल्यूपीआई: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, भारत सरकार से

सीपीआई: श्रम ब्यूरो, भारत सरकार से

*एफएमएस लागत की गणना ऊपर उल्लिखित इंडेक्सेशन फार्मूला या न्यूनतम मजदूरी, दोनों में से जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाएगी।

खंड XI - ईएमडी के भुगतान के तरीके

बयाना जमाराशि ₹1,00,000/- को नीचे दिए गए किसी भी भुगतान माध्यम से जमा किया जा सकता है:

1. निम्न के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से:

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक
खाता संख्या - 186003001
IFSC - RBIS0CNPA01 (पांचवां और दसवां अक्षर शून्य है)

या

2. भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के पक्ष में अदाता खाता डिमांड ड्रॉफ्ट या बैंकर चेक।

या

3. डिमांड ड्रॉफ्ट के बदले बैंक गारंटी। ईएमडी के बदले बैंक गारंटी का प्रारूप खंड XII में दिया गया है ।

नोट : बोली अपलोड करते समय ईएमडी को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप (स्कैन करके) में भी जमा करना होगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई ईएमडी की स्कैन की गई प्रति अंतिम दिनांक से पहले ditchennai@rbi.org.in पर ईमेल के माध्यम से भेजें । हालांकि, अंतिम दिनांक से पहले वास्तविक वित्तीय लिखत /राशि प्राप्त किए बिना स्कैन की गई प्रति की प्राप्ति को ईएमडी की जमा/प्राप्ति नहीं माना जाएगा।

कृपया आवेदन करते समय अनुबंध - VII में दिए गए प्रारूप में ईएमडी जमा विवरण का उल्लेख करें।

नोट : भारत सरकार द्वारा परिभाषित और मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) या स्टार्ट-अप श्रेणी से संबंधित बोलीदाताओं के लिए कोई छूट नहीं है।

<u>खंड XII- बयाना राशि जमा करने के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र</u>

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर)

स्थान :_____

दिनांक :_____

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

16, राजाजी साल्लै, फोर्ट ग्लासिस, चेन्नै- 600 001

महोदया,

आरबीआई, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंध सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) हेतु ई-निविदा 2026-27

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय 16, राजाजी साल्लै, फोर्ट ग्लासिस, चेन्नै में स्थित है, ने भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) हेतु ई-निविदा आमंत्रित की है, जो निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुरूप है।

1. निविदा आमंत्रण की शर्तों में से एक यह है कि बोलीदाता को (__ईएमडी की राशि__) की बैंक गारंटी बयाना राशि जमा के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

2. मेसर्स _____ (जिसे आगे बोलीदाता कहा जाएगा), जो हमारे ग्राहक हैं, उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं और उन्होंने हमसे उक्त राशि (__ईएमडी की राशि__) के संबंध में नियोक्ता को गारंटी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अब यह गारंटी निम्न की साक्षी है

1. हम _____ (बैंक का नाम) भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों के साथ यह सहमति जताते हैं और वचन देते हैं कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बोलीदाता ने निविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है और यह निष्कर्ष हम पर और उक्त बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा तो हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा माँगे जाने पर, बिना किसी आपत्ति के भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रिम भुगतान (ईएमडी) के रूप में उल्लिखित राशि, अर्थात् (__ईएमडी की राशि__) या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा माँगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत बोलीदाता के दायित्वों के उचित पालन के लिए बयाना जमा

राशि के समतुल्य माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के लिए हमारी देयता अग्रिम भुगतान (__ईएमडी की राशि__) से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि पूर्वोक्त ₹ _____(बयाना जमाराशि) से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी देरी या विरोध के केवल लिखित रूप में इस आशय का एक नोटिस प्राप्त होने पर कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और प्रमाण या साक्ष्य नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हम पर निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति हमारा दायित्व भारतीय रिज़र्व बैंक और बोलीदाता के बीच हुए करार या करारों या अन्य व्यवस्थाओं से स्वतंत्र होगा।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा यह गारंटी रद्द नहीं की जाएगी।

5. हम इसके द्वारा आगे इस बात से भी सहमत हैं कि -

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त निविदा और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों का अनुपालन करने में किसी भी प्रकार की ढिलाई या चूक, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बोलीदाता को किसी भी प्रकार का समय देना या रियायत देना, या इससे संबंधित कोई अन्य मामला, हमें इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल बोलीदाताओं द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन से ही पूर्ण होगी, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हमारे द्वारा (__ईएमडी की राशि__) रुपये तक की राशि का भुगतान करने पर ही पूर्ण होगी।

बी) इन शर्तों के तहत हमारी देनदारी (__ईएमडी की राशि__) से अधिक नहीं होगी।

सी) इस करार के तहत हमारी देयता उक्त कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत करने या उसके तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन या अनियमितता के कारण या हमारे उक्त घटकों के विघटन या उनके गठन में परिवर्तन के कारण प्रभावित नहीं होगी।

डी) यह गारंटी _____ (निविदा प्राप्त होने की अंतिम दिनांक से छह महीने) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक चाहे तो इस गारंटी को उसी शर्तों और नियमों पर, जैसा कि इसमें निहित है, उनके द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

और) इस संविदा के अंतर्गत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार इस संविदा का नवीनीकरण ____ को या उस दिन, दोनों में से जो भी बाद में हो, नहीं हो जाता जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णायक प्रमाण होगा। यदि उस दिनांक से छह महीने के भीतर या किसी विस्तारित अवधि के भीतर हमारे विरुद्ध कोई दावा, मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इस संविदा के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त हो जाएंगे।

भवदीय ,

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)
<नाम, पदनाम और पता>
कृते और की ओर से
<आवेदक संगठन का नाम>

(**नोट** : इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क लगेगा जहां इसे निष्पादित किया गया है और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार का सत्यापन किया जाएगा।)

<u>अनुबंध I - बोलीदाता प्रोफ़ाइल</u>
(बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

क्रम सं	मदें	विवरण	
1.	कंपनी का पंजीकृत नाम		
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	पता टेलीफ़ोन फैक्स ईमेल	(पंक्ति 2 और 3 का विवरण वेंडर की वेबसाइट से सत्यापित किया जा सकता है। उपयुक्त लिंक प्रदान किया जाना चाहिए। यदि वेबसाइट से विवरण सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो उचित प्रमाण प्रदान किया जाना चाहिए।)
3.	चेन्नै स्थित कार्यालय का पता	पता टेलीफ़ोन फैक्स ईमेल	
4.	बोली लगाने वाले की वेबसाइट का यूआरएल		
5	संगठन के स्वामी/भागीदार /निदेशक का नाम और पदनाम		
6	इस अनुरोध का उत्तर देने वाले अधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम		
7.	अधिकृत अधिकारी का संपर्क टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल पता	मोबाइल फ़ोन फैक्स ई-मेल	

8.	बोलीदाता का प्रकार (क्या वह प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या एलएलपी या भागीदारी फर्म है) (प्रति) कंपनी के निगमन/पंजीकरण/भागीदारी विलेख का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।			
9	यदि कोई मूल कंपनी है तो उसका नाम और पता			
10.	लागू कर पंजीकरण संख्या (पैन, टिन, जीएसटी आदि) का विवरण। फोटोकॉपी आवश्यक है।			
11.	भारत में भौगोलिक विस्तार: (ए) कार्यालयों की संख्या (बी) सेवा केंद्रों की संख्या (सी) सेवा केंद्रों की संख्या चेन्नै में			
	चेन्नै में स्थित सेवा केंद्र/केंद्रों का पूरा पता			
12.	सेवा केंद्र/केंद्रों के प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल			
13.	वित्तीय स्थिति:	2022-23 वित्तीय वर्ष (लेखापरीक्षित)	2023-24 वित्तीय वर्ष (लेखापरीक्षित)	2024-25 वित्तीय वर्ष (लेखापरीक्षित)
	i) (क) वार्षिक कारोबार (ख) जिसमें से एएमसी / एफएमएस से संबंधित व्यवसाय से होने वाला कारोबार			
	ii) निवल लाभ:			
	क्या पिछले तीन वर्षों के बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते की प्रतियां संलग्न की गई हैं (हां/नहीं)?			
14.	कृपया समस्या समाधान हेतु एक क्रमबद्ध कार्यप्रणाली (एस्केलेशन मैट्रिक्स) प्रदान करें। इस कार्यप्रणाली में बोलीदाता के मुख्यालय में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम शामिल होना चाहिए। एस्केलेशन मैट्रिक्स में उल्लिखित अधिकारियों का पदनाम, फोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल पता अवश्य दें।			

15.	संगठन का संक्षिप्त विवरण, प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों और विभागों की सूची, प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की सूची, इसके विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ।		
16.	एफएमएस/एएमसी/सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं का एक संक्षिप्त विवरण		
17.	कार्य अनुभव - पात्रता संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण। मानदंड और शर्तें और कार्य आदेशों, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित शर्तें। भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए किसी केंद्र या सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों में समान सेवाओं के पूर्व अनुभव (यदि कोई हो) के विवरण और दस्तावेजी साक्ष्य भी अनुबंध V में दिए जाने चाहिए ।		
18.	चेन्नै में इनमें से प्रत्येक श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या: (ए) सॉफ्टवेयर विकास/समर्थन (बी) इंजीनियरिंग/हार्डवेयर सहायता (सी) बिक्री एवं अन्य कार्मिक		
19.	भारत में भौगोलिक विस्तार: (डी) कार्यालयों की संख्या (और) एफएमएस/एएमसी के लिए जो चेन्नै में हैं		
20.	क्या आप संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत हैं? यदि हाँ, तो पंजीकरण की दिनांक बताएँ। (प्रमाणपत्र/पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी)।		
21.	मौजूदा ग्राहकों के नाम और पते सहित पूरी जानकारी। अनुबंध - X के अनुसार शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों से प्रतिक्रिया आवश्यक है ।		
22.	वह बैंक खाता (आईएफएससी कोड और खाता संख्या) जिसमें संगठन को भुगतान प्राप्त होगा।		

23.	क्या बैंक द्वारा ऐसी कोई शर्तें और नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन बोलीदाता द्वारा नहीं किया जा सकता है?	
24.	क्या किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कारण से बोली लगाने वाले के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है?	
25.	क्या आपको किसी प्राधिकरण और/या ग्राहक द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण दें:	
26.	भारतीय रिज़र्व बैंक से अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएँ	

नोट : कृपया अन्य महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें, जो आपको लगता है कि कहीं और शामिल नहीं की गई है।

<u>अनुबंध -II - अनुपालन मैट्रिक्स</u>

(बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

नोट: निम्नलिखित प्रत्येक बिंदु के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है।

क्रम सं	**नियम और शर्तें**	**अनुपालन (हां नहीं)**	**कारण सहित विचलन, यदि कोई हो तो**
1.	बोली लगाने वाली कंपनी/एलएलपी/भागीदारी फर्म संबंधित सांविधिक अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए और आईटी परिसंपत्तियों के एएमसी और एफएमएस के लिए समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में लगी होनी चाहिए। **(निगमन/पंजीकरण/भागीदारी विलेख का प्रमाणपत्र संलग्न करें)**		

2.	बोलीदाता को पिछले **5 वर्षों** (30 नवंबर 2025 तक) के दौरान निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से समान कार्यों (अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स का एएमसी/एफएमएस) को संतोषजनक ढंग से पूरा करने का अनुभव होना चाहिए। क. तीन (03) समान पूर्ण किए गए कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹20 लाख (निविदा के अनुमानित मूल्य का 40%) से कम न हो, या ख. दो (02) समान पूर्ण कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹25 लाख (निविदा के अनुमानित मूल्य का 50%) के बराबर हो, या ग. एक (01) समान पूर्ण कार्य जिसकी लागत ₹40 लाख (निविदा के अनुमानित मूल्य का 80%) के बराबर राशि से कम न हो। कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों या कार्य आदेशों की प्रति सहित विवरण परिशिष्ट-V में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इस मानदंड के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों की स्वीकृति की अंतिम दिनांक निविदा आमंत्रित किए जाने वाले माह से पहले का अंतिम दिन होगी। निविदा दस्तावेज में दिए गए पात्रता मानदंडों के अनुसार निविदाकर्ता का पूर्व कार्य अनुभव समान कार्य के रूप में योग्य है या नहीं, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै का निर्णय अंतिम और सभी निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।		

3.	बोलीदाता द्वारा 30 नवंबर, 2025 तक पिछले 3 वर्षों के दौरान कम से कम एक वित्तीय संस्थान/बैंक/सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आईटी परिसंपत्तियों का एएमसी और एफएमएस प्रदान किया होना चाहिए। इसका विवरण संविदा-V में पूर्णता प्रमाणपत्रों/कार्य आदेशों की प्रति के साथ दिया जाना चाहिए।		
4.	पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों (अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25) में से प्रत्येक में एएमसी/एफएमएस सेवाओं से न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹50 लाख होना चाहिए, जिसका लेखापरीक्षित या प्रमाणित लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एएमसी/एफएमएस व्यवसाय से प्राप्त राजस्व/कर्नओवर को वित्तीय विवरणों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के सत्यापन के साथ बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। **प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज - पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए उनकी ऋण पात्रता , टर्नओवर और शुद्ध लाभ के प्रमाण स्वरूप आयकर रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां।**		
5.	बोलीदाता के पास दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ लागू कर पंजीकरण (पैन, टीआईएन, जीएसटी, आदि) होने चाहिए।		

6.	बोलीदाता के पास चेन्नै में पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी होने चाहिए जिन्हें एएमसी और एफएमएस में विशेषज्ञता प्राप्त हो और आईटी परिसंपत्तियों के रखरखाव से निपटने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त हों **(बोलीदाता को <u>अनुबंध -III</u> में उल्लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा)।**		
7.	बोलीदाता के पास चेन्नै में एक कार्यालय और सेवा केंद्र होना चाहिए, जो मरम्मत कार्य के लिए पर्याप्त तकनीकी कर्मचारियों और उपकरणों से सुसज्जित हो, ताकि <u>खंड VIII</u> में उल्लिखित उक्त आईटी संपत्तियों के लिए कम से कम 99% अपटाइम सुनिश्चित किया जा सके । सेवा केंद्रों का विवरण **<u>अनुबंध -IV</u> में दर्शाया जाना चाहिए ।** बैंक को सेवा केंद्र का निरीक्षण करने और बोलीदाता द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सेवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने का अधिकार सुरक्षित है।		
8.	बोली लगाने वाले के पास बैंक की आईटी संपत्तियों के मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) का प्रमाणन या प्राधिकरण या सेवा प्रदाता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे एचपी, डेल, लेनोवो, या कोई अन्य समान ब्रांड आदि। **(दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति संलग्न करें)।**		

9.	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी भी देश का बोलीदाता निविदा में तभी बोली लगाने के लिए पात्र होगा जब वह भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित बोलीदाताओं द्वारा अनुबंध VIII के अनुसार वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।		
10.	बोलीदाता को पिछले 3 वर्षों में सार्वजनिक खरीद संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि या सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य लागू कानून के तहत दोषी पाए जाने पर प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए। यह 3 वर्ष की अवधि प्रतिबंध की दिनांक से गिनी जाएगी। साथ ही, बोलीदाता के विरुद्ध कोई दिवालियापन का मामला लंबित नहीं होना चाहिए। (**अनुबंध XIII में उल्लिखित हस्ताक्षरित वचनपत्र/घोषणा अपलोड करें)**		
11	**आईएसओ प्रमाणन** : बोलीदाता के पास वैध आईएसओ 20000 प्रमाणन (आईटी सेवा के लिए मान्यता) होना चाहिए। सूचना सुरक्षा से संबंधित प्रमाणपत्र (प्रबंधन) और आईएसओ 27001 प्रमाणन। **(प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)**		

12.	बोलीदाता का अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई हितों में अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। बोलीदाता को संविदा VIII(A) में उल्लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा।		
13.	निविदा की अन्य सभी शर्तों की स्वीकृति।		

नोट : तकनीकी बोली यानी निविदा भाग-I के साथ सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

नाम :

पदनाम:

स्थान :

दिनांक :

<u>अनुबंध-III - योग्य सेवा इंजीनियरों की तैनाती के लिए वचनबद्धता</u>

(बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर भरकर जमा किया जाना है)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्लालिस, राजाजी साल्लै
चेन्नै - 600001

विषय: आरबीआई, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) हेतु ई-निविदा 2026-27

हम, ...(बोलीदाता/कंपनी का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय .....(पता) पर स्थित है, एतद्द्वारा वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि हमारे पास वांछित योग्यताओं वाले इंजीनियरों की आवश्यक संख्या है और यदि हमें **आरबीआई, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) का ठेका दिया जाता है, तो** हम यह सुनिश्चित करेंगे कि संविदा के निष्पादन के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए रेजिडेंट इंजीनियर उपरोक्त निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे।

हम यह भी पुष्टि करते हैं कि इस परियोजना के लिए नियुक्त किए जाने वाले रेजिडेंट इंजीनियरों के पास निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यताएं, कौशल और अनुभव होंगे। हम इस संबंध में किसी भी प्रकार का विचलन या कमी नहीं करेंगे और निविदा दस्तावेज में उल्लिखित आवश्यकताओं और योग्यताओं का सख्ती से पालन करेंगे।

हम यह भी प्रतिबद्धता जताते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों द्वारा अनुपयुक्त या आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले पाए जाने वाले किसी भी रेजिडेंट इंजीनियर को संविदा में निर्धारित समय सीमा के भीतर, बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, प्रतिस्थापित किया जाएगा।

यह वचनबद्धता सद्भावनापूर्वक दी गई है और हम पर बाध्यकारी है।

कृते और की ओर से हस्ताक्षरित:

[बोलीदाता/कंपनी का नाम]

हस्ताक्षर (संस्थान की मुहर सहित):
नाम:
पदनाम:
दिनांक:
स्थान:

<u>अनुबंध -IV - चेन्नै में सेवा केंद्रों का विवरण</u>

(बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

क्रम संख्या	चेन्नै में सेवा केंद्रों की सूची	सर्विस सेंटर कब से चालू है?	सेवा केंद्र में इंजीनियरों की संख्या	इंजीनियरों के कौशल सेट	टिप्पणी

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

<u>अनुबंध -V - पिछले पांच वर्षों के दौरान वेंडर को सौंपे गए</u>

<u>एएमसी और एफएमएस कार्य आदेशों की सूची</u>

(बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

नोट : पूर्णता प्रमाणपत्र/कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें।

क्र.सं	कार्य का नाम और स्थान	अवधि		संविदा में शामिल कार्य की प्रकृति	संपर्क किए जाने वाले ग्राहक की आधिकारिक जानकारी और पूरा पता	संविदा राशि	संविदा अवधि		क्या काम अधूरा रह गया था, या किसी भी पक्ष द्वारा संविदा समाप्त कर दी गई थी? यदि हाँ, तो पूरी जानकारी दें।	कार्य को पूरा करने में यदि कोई विलंब हुआ हो तो उसके कारण सहित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी
		से	तक				अनुसूचित	वास्तविक		

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

<u>अनुबंध -VI - वचनबद्धता/क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र</u>
(बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्लालिस, राजाजी साल्लै
चेन्नै - 600001

विषय: भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) हेतु ई-निविदा 2026-27

महोदया,

दिनांक ..... की आपकी उपरोक्त निविदा के उत्तर में, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने इसमें निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा कर लिया है और हम उक्त निविदा में उल्लिखित निविदा प्रस्तुत करने के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं।

1. हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि वाणिज्यिक बोली में हमारे द्वारा कोई नियम और शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं।

2. हम यह आश्वासन देते हैं कि बेचे जाने वाले उत्पाद/मरम्मत सेवाएँ/ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के किसी पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य या अन्य संपत्ति अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम सहमत हैं कि इस गारंटी के किसी भी उल्लंघन या कथित उल्लंघन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, मांग, कार्रवाई या कार्यवाही से बैंक को हम (असीमित दायित्व के साथ) क्षतिपूर्ति करेंगे।

3. हम बैंक की आईएस पॉलिसी के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

4. हम महिलाओं के लैंगिंक उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

5. हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938, संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 आदि तथा देश में प्रचलित अन्य श्रम कानूनों के अंतर्गत उत्पन्न सभी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम:
स्थान:
दिनांक:

अनुबंध VII - ईएमडी के लिए लेनदेन विवरण

(बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

1. एनईएफटी के लिए

क्रमांक	आवश्यकता	ब्यौरे
1	बोलीदाता का नाम	
2	बैंक का नाम	
3	खाता संख्या	
4	आईएफएससी	
5	यूटीआर विवरण	
6	भुगतान की दिनांक	

या

2. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी के लिए **(बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई ईएमडी की स्कैन की गई प्रति ईमेल के माध्यम से ditchennai@rbi.org.in पर बयाना राशि जमा करने की अंतिम दिनांक/समय से पहले भेजें और आवेदन करते समय एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर डीडी/बीसी/बीजी की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें)**

क्रमांक	आवश्यकता	विवरण
1	बोलीदाता का नाम	
2	बैंक का नाम	
3	डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / बैंक गारंटी संख्या	
4	डीडी/बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी की दिनांक	
5	डीडी/बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी जमा करने की दिनांक **(यह ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक और समय से पहले आरबीआई, चेन्नै पहुंच जानी चाहिए)**	

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध VIII - बोलीदाताओं के संबंध में वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित

(बोलीदाता द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर विधिवत मुहरबंद और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्लालिस, राजाजी साल्लै
चेन्नै - 600001

महोदया,

विषय: आरबीआई, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) हेतु ई-निविदा 2026-27

मैं/हम _____ (बोलीदाता/ओईएम का नाम और पता, जिसमें स्थान का देश भी शामिल है) ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लोक खरीद प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019 पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020 और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों को पढ़ और समझ लिया है, जिसमें भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में जानकारी दी गई है।

2. मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि _____ (बोलीदाता/ओईएम का नाम)

1 वह ऐसे देश से नहीं है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता हो, या

2 जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और भारत सरकार स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या

3 यह उस देश से है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है और जहां भारत सरकार ने ऋण लाइनें विस्तारित की हैं, या

4 यह उस देश से है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है और जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(ऊपर दिए गए विकल्पों में से जो भी लागू नहीं है उसे काट दें)

3. मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि _____ (बोलीदाता/ओईएम का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता/करती है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों के तहत विचार किए जाने के योग्य है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि उन

संविदाओं के मामले में भी जहां बैंक/आरबीआई द्वारा हमें उप-संविदा करने की अनुमति दी गई है, मैं/हम _____ (बोलीदाता/ओईएम का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश/देशों के किसी भी ठेकेदार को कोई भी कार्य के लिए उप-संविदा नहीं करेंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4. मैं/हम जानते/समझते हैं कि यदि यह वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमाराशि/ कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी/प्रतिभूति जमाराशि जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें प्रतिबंधित करना शामिल है।

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम, रबर की मुहर सहित:

दिनांक:
स्थान:

अनुबंध VIII(A) - हितों के अंतर्विरोध के लिए वचनबद्धता

(बोलीदाता द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर विधिवत मुहरबंद और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्लालिस, राजाजी साल्लै
चेन्नै - 600001

महोदया,

विषय: आरबीआई, चेन्नै में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) हेतु ई-निविदा 2026-27

हमारा ऐसा कोई हितों का अंतर्विरोध नहीं है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। कोट किया गया मूल्य प्रतिस्पर्धी हैं और किसी भी अनुचित/अनैतिक/प्रतिस्पर्धा-विरोधी साधन का उपयोग नहीं किया गया है। हमने किसी अन्य बोलीदाता को प्रतिस्पर्धा सीमित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने या न करने के लिए प्रेरित करने का कोई प्रयास नहीं किया है और न ही भविष्य में करेंगे।

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम, रबर की मुहर सहित:

दिनांक:
स्थान :

अनुबंध IX - भाग II - वित्तीय / मूल्य बोली प्रारूप (मात्राओं की अनुसूची)

(कृपया ध्यान दें कि मूल्य बोली (भाग-II) केवल ऑनलाइन ही भरी जानी है)
निर्धारित प्रारूप एमएसटीसी पोर्टल पर उपलब्ध है।)

वित्तीय बोली में दो भाग होते हैं, अर्थात् वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए बोली और सुविधा प्रबंधन सेवाओं (एफएमएस) के लिए बोली।

नीचे दिया गया प्रारूप केवल उदाहरण के लिए है। वित्तीय/मूल्य बोली केवल ऑनलाइन ही जमा की जानी है और इसके लिए MSTC पोर्टल पर उपलब्ध मूल्य-बोली प्रारूप का उपयोग करना होगा।

क. **वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए वित्तीय/मूल्य बोली:**

सभी आंकड़े ₹ में हैं

क्रमांक	विवरण	ब्यौरे	अनुमानित मात्रा	वार्षिक एएमसी प्रति इकाई मात्रा दरें (सभी करों सहित)
1.	डेस्कटॉप कंप्यूटर	डेल और एचपी ब्रांड के पीसी के लिए वार्षिक एएमसी शुल्क	240	
2.	डेस्कटॉप एआईओ	डेल, एचपी, लेनोवो और एप्पल ब्रांड के पीसी के लिए वार्षिक एएमसी शुल्क	80	
3.	प्रिंटर	एचपी, कैनन और एप्सन ब्रांड के प्रिंटरों के लिए एएमसी का वार्षिक शुल्क	100	
4.	स्कैनर	एचपी,कैनन, एप्सन ब्रांड के स्कैनर्स के लिए एएमसी का वार्षिक शुल्क	25	
5.	सीटीएस स्कैनर	सभी सीटीएस स्कैनर्स (मॉडल और ब्रांड - पाणिनी) के लिए वार्षिक एएमसी शुल्क	1	
6.	सर्वर	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क – डेल कंपनी के सर्वर	3	
7.	स्टोरेज	एएमसी के लिए वार्षिक शुल्क – डेल कंपनी के स्टोरेज डिवाइस	1	
8.	लैपटॉप	एचपी, डेल, लेनोवो, एसर, एप्पल, आसुस ब्रांड के लैपटॉप के लिए वार्षिक एएमसी शुल्क	10	

9.	आईपैड	एप्पल ब्रांड के आईपैड के लिए वार्षिक एएमसी शुल्क	1	

ख. **सुविधा प्रबंधन सेवा के लिए वित्तीय/मूल्य बोली:**

क्रमांक	**ब्यौरे** **(सभी आईटी परिसंपत्तियों के लिए एफएमएस समर्थन सहित)** **वारंटी के अंतर्गत परिसंपत्तियाँ**	**लाभ (%) (सभी करों सहित)**
1	आवश्यक जनशक्ति की तैनाती के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवा हेतु ओवरहेड और प्रशासनिक शुल्कों (ओएसी) का प्रतिशत।	

महत्वपूर्ण नोट:

i निविदाकर्ता को निर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रति इकाई मात्रा के हिसाब से वार्षिक एएमसी दरें कोट की जानी चाहिए, जिसमें सभी कर शामिल हों।

ii निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि एएमसी और एफएमएस लागत पर जीएसटी का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। यदि निविदाकर्ताओं को जीएसटी भुगतान से आंशिक या पूर्ण छूट प्राप्त है, तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, **बोलियों का मूल्यांकन भाग क और भाग ख के कुल योग के आधार पर किया जाएगा** । न्यूनतम मजदूरी की गणना के लिए प्रति माह दिनों की संख्या 26 (छब्बीस) मानी जाएगी।

iii दरें केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उपलब्ध मूल्य बोली प्रारूप में ऑनलाइन ही कोट की जानी चाहिए और निविदा में कहीं भी इंगित नहीं की जानी चाहिए या भाग-I दस्तावेजों के साथ अपलोड नहीं की जानी चाहिए, जिससे निविदा अयोग्य घोषित हो सकती है।

iv परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन: निविदाकर्ता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संविदा अवधि के दौरान आईटी परिसंपत्तियों को नई परिसंपत्तियों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एएमसी श्रेणी के अंतर्गत परिसंपत्तियों की संख्या में वृद्धि/कमी हो सकती है। ऐसे मामलों में, एएमसी लागत को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। संविदा प्रारंभ होने के बाद बैंक की सूची में कंप्यूटर सिस्टम और आईटी पेरिफेरल्स को जोड़ने/हटाने के आधार पर उनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

v निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों तथा कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी दरें उद्धृत करनी चाहिए।

अनुबंध X - कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र

एफएमएस/एएमसी सेवा प्रदाता का

(ग्राहक के पत्रशीर्ष पर एक सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराया जाना चाहिए)

क्रमांक	आवश्यकता	विवरण
1	ग्राहक का नाम और पता (फ़ोन नंबर) और ईमेल आईडी)	
2	मेसर्स _____ द्वारा प्रदान की गई एएमसी और एफएमएस सहायता का विवरण क. कार्य का नाम और संक्षिप्त विवरण ख. संविदा संख्या एवं दिनांक ग. संविदा राशि घ. एएमसी के प्रारंभ होने की दिनांक ङ. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्धारित अपटाइम च. आईटी पेरिफरेल्स छ. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड किया गया अपटाइम ज. आईटी पेरिफरेल्स झ. निर्धारित अपटाइम बनाए न रखने पर लगाए गए जुर्माने का विवरण, यदि कोई हो। ञ. उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन एएमसी निष्पादित की गई। ट. क्या सेवा प्रदाता ने एएमसी अवधि के दौरान योग्य इंजीनियर/समन्वयक को नियुक्त किया था?	
3	कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएँ)	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
4	i) क्या वेंडर ने मध्यस्थता का सहारा लिया? ii) यदि हां, तो दावे की कुल राशि क्या है? iii) प्रदान की गई कुल राशि	

रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर, कार्यालय की मुहर सहित

अनुबंध XI - हस्ताक्षर हेतु पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप
आवेदन/प्रस्ताव और दस्तावेजों का

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर)

इन दस्तावेजों के माध्यम से सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि हम (निविदाकर्ता का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता) श्री / सुश्री ..... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को , जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और..... पद पर हैं, हमारे अटॉर्नी के रूप में नियुक्त, अधिकृत और अभिरक्षित करते हैं , ताकि वे हमारी ओर से और हमारे नाम पर, **भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै - 600001 में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए हमारी निविदा से संबंधित या उससे जुड़े सभी आवश्यक कार्य कर सकें, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, आरबीआई, चेन्नै को सूचना/जवाब देना, आरबीआई, चेन्नै के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और उक्त** एएमसी/एफएमएस के लिए हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में आरबीआई, चेन्नै के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना शामिल है।

हम एतद्द्वारा इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिवत रूप से किए गए सभी कार्यों, और कृत्यों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य और कृत्य हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे और हमेशा हमारे द्वारा ही किए गए माने जाएंगे।

नोट: पावर ऑफ अटॉर्नी पर विधिवत मुहर लगी होनी चाहिए और इसे नोटरीकृत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :

नाम:

निविदाकर्ता की मुहर/सील :

(**नोट** : इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क लगेगा जहां इसे निष्पादित किया गया है और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार का सत्यापन किया जाएगा)।

अनुबंध XII - सभी सांविधिक कानूनों के अनुपालन के संबंध में घोषणा/वचन

(इसे टाइप किया जाना चाहिए और स्पष्ट लिखावट में बिना किसी ओवरराइटिंग के और निविदाकर्ता की कंपनी/फर्म के पत्रशीर्ष पर जमा किया जाना चाहिए अन्यथा निविदाकर्ता का प्रस्ताव तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।)

निविदा संख्या: .....

दिनांक: .....

हम, मेसर्स ----------, जो बोली में भाग ले रहे हैं, एतद्द्वारा स्व-घोषणा/वचन प्रस्तुत करते हैं कि:

हमारा प्रतिष्ठान संविदा श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 के तहत पंजीकृत है और मेरा/हमारा प्रतिष्ठान संविदा श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और उसके बाद बनाए गए नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करेगा, जिसमें लाइसेंस की शर्तें, प्रशासनिक आदेश/शों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई कोई भी सूचनाएं शामिल हैं।

हमारे प्रतिष्ठान द्वारा तैनात किए जाने वाले प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर उनके रोजगार की श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम का भुगतान नहीं किया जा रहा है/किया जाएगा, जिसमें ओवरटाइम/साप्ताहिक अवकाश आदि शामिल हैं और इसका भुगतान खाताधारक चेक/ईसीएस/बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है/किया जाएगा।

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पात्र श्रमिक ईएसआई और ईपीएफ अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल हो/होगा और वैधानिक कटौतियां समय पर जमा की जाएं।

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पात्र श्रमिक को बोनस अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के तहत बोनस का भुगतान किया जाए/किया जाएगा।

हम किसी भी नाबालिग/बाल/बंधुआ मजदूर को काम पर नहीं लगाएंगे और संबंधित कानूनों के प्रावधानों का पालन करेंगे।

सत्यापन निम्नानुसार है: -

उपरोक्त घोषणाएँ और हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और किसी भी प्रकार से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
यदि हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी/वचन गलत/झूठा पाया जाता है तो उस स्थिति में मैं संविदा श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970, आईपीसी और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।
हम सभी प्रकार की चूक और त्रुटियों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदार होंगे।

दिनांक: अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:
स्थान:
पूरा नाम:
पदनाम:
कंपनी की मुहर*

अनुबंध XIII - अनुसूचित बैंक से प्राप्त बैंकर्स सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी के अनुसार, नीचे दिए गए पते पर स्थित मेसर्स ----------
----------, जो हमारे बैंक के ग्राहक हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और ₹.....
(रुपये.....) की सीमा तक किसी भी लेनदेन के लिए उपयुक्त माने जा सकते हैं।

यह प्रमाणपत्र **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में** बैंक या उसके किसी भी अधिकारी के प्रति बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया गया है।

(हस्ताक्षर) कृते बैंक

टिप्पणी :

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के पत्रशीर्ष पर होना चाहिए और इसे एक सीलबंद लिफाफे में बंद करके क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट ग्लासिस, राजाजी साल्वै, चेन्नै - 600001 को संबोधित किया जाना चाहिए।
2. यदि भागीदारी फर्म सफल निविदाकर्ता होती है, तो प्रमाणपत्र में बैंक के पास दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

(हस्ताक्षर) बैंक के लिए

अनुबंध XIV - दस्तावेज़ चेकलिस्ट

क्रम सं.	दस्तावेज़ का शीर्षक
1	खंड II - निविदा का प्रारूप
2	खंड III(B)- करार के की शर्तें
3	खंड IV - बोलीदाताओं/वेंडरों के लिए सामान्य अनुदेश और संविदा की विशेष शर्तें
4	खंड V - यहां संदर्भित शर्तें
5	खंड VII - कार्यों का विस्तृत विवरण
6	अनुबंध-I - बोलीदाता प्रोफ़ाइल
7	अनुबंध-II - अनुपालन मैट्रिक्स
8	अनुबंध-III - योग्य सेवा इंजीनियरों की तैनाती के लिए वचनबद्धता
9	अनुबंध-IV - चेन्नै में सेवा केंद्रों का विवरण
10	अनुबंध-V- नवंबर 2025 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान वेंडर को सौंपे गए एएमसी और एफएमएस कार्य आदेशों की सूची
11	अनुबंध-VI - वचनबद्धता/क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र
12	अनुबंध VII - ईएमडी के लिए लेनदेन विवरण
13	अनुबंध VIII- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित बोलीदाताओं के संबंध में वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र
14	अनुबंध VIII(A)- हितों में अंतर्विरोध के लिए वचनबद्धता
15	अनुबंध X: एफएमएस/एएमसी सेवा प्रदाता के कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र (ग्राहक के पत्रशीर्ष पर एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना है)
16	अनुबंध XI: आवेदन/प्रस्ताव और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप
17	अनुबंध XII: सभी वैधानिक कानूनों के अनुपालन के संबंध में घोषणा/वचनबद्धता
18	अनुबंध XIII: अनुसूचित बैंक से प्राप्त बैंकर्स सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का प्रारूप
19	निगमन/पंजीकरण/साझेदारी विलेख के प्रमाणपत्र की प्रति
20	संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (सीएलआरए) के लाइसेंस/प्रमाणपत्र/पंजीकरण की प्रति
21	लेनदेन संख्या सहित ईएमडी के प्रेषण का प्रमाण (स्कैन की गई प्रति) संलग्न/अपलोड किया जाना चाहिए।
22	पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्रतिष्ठान की मुहर के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

23	बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के सत्यापन सहित, उनकी ऋण पात्रता, कारोबार और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल लाभ के प्रमाण स्वरूप आयकर रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां प्रस्तुत करें।
24	बैंक की आईटी परिसंपत्तियों के मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) जैसे एचपी, डेल, लेनोवो, या इसी तरह के अन्य ब्रांड आदि के लिए ओईएम प्रमाणन, प्राधिकरण या सेवा प्रदाता प्रमाणपत्र। (दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति संलग्न करें)
25	आईएसओ 20000 प्रमाणन की प्रति
26	आईएसओ 27001 प्रमाणन की प्रति
27	लागू कर पंजीकरण (पैन, टिन, जीएसटी, आदि)